उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या
ए–6/ई–1/2025
दिनांक: 12.08.2025

प्रवक्ता (पुरूष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज परीक्षा–2025

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि:– 12.08.2025

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि:– 12.09.2025

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि:– 19.09.2025

महत्वपूर्ण

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R. Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट https://otr.pariksha.nic.in से ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन–लाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑन–लाइन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :– (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगें।

1. आन–लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की **Website https://uppsc.up.nic.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु 'इस विज्ञापन में O.T.R. BASED APPLICATION system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन–लाइन आवेदन ही करें।

आन–लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:–

आयोग की Website **https://uppsc.up.nic.in** पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं–

1- User Instructions
2- View Advertisement
3- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन–लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन–लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'आन–लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :–

प्रथम चरण :– 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :–

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल पर अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो:– a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (**https://otr.pariksha.nic.in**) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:– प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:– द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का home page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:–

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट **प्रिन्टर आइकन** पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate कर Login करने के उपरांत 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:– शुल्क बैंक में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' 'प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण– तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई,डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस व आगामी समस्त चयनों/परीक्षाओं से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(3) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत् चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(4) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(7) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(8) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

(9) अभिलेखों के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में इस हेतु मा0 आयोग के निर्णयानुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उक्त निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन की निर्धारित तिथि को यदि अभिलेख सत्यापन हेतु कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो यह मानते हुए कि वह प्रश्नगत पद हेतु इच्छुक नहीं है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

2. आवेदन शुल्क : ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :–

(i)	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग	–	परीक्षा शुल्क रु. 100/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 125/–
(ii)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	–	परीक्षा शुल्क रु. 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 65/–
(iii)	दिव्यांगजन	–	परीक्षा शुल्क रु. शून्य + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 25/–
(iv)	भूतपूर्व सैनिक	–	परीक्षा शुल्क रु. 40/– + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 25/– योग = रु. 65/–
(v)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी	–	अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज मुख्य (लिखित) परीक्षा–2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी।

4. रिक्तियों की संख्या:– वर्तमान में चयन हेतु प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज में रिक्तियों की कुल संख्या–1471 (पुरुष शाखा हेतु 777 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 694 रिक्तियाँ) है। प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों की कुल संख्या–45 और प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा में रिक्तियों की कुल संख्या–02 है। विषयवार/आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध है।

नोट:– रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है

पद की प्रकृति– समूह 'ग' अराजपत्रित।

वेतनमान– प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज–लेवल–8; प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय–लेवल–8; प्राध्यापक, उ0प्र0 जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा– लेवल–7

5. आरक्षण : उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा– उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों और उ0प्र0 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये पदों पर रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:– (1) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिन्दु–5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है– दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

2. शासनादेश संख्या–39 रिट/का–2/2019 दिनांक–26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या– 18/1/99/का–2/2006 दिनांक–09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर–4 में दिये गये प्राविधान, ''यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक–16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक–09.01.2007 से प्रस्तर–04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3. ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण–पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व

वर्ष का ही मान्य होगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

5. उ0प्र0 के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, O.T.R. के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होगी।

6. आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

7. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

8. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

9. अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. <u>आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तेः–</u> (केवल आयु में छूट हेतु):– आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या– 22/10/1976 – कार्मिक–2–85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:–

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गई हो।

7. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u> :– ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. शैक्षिक अर्हताएं:–

<u>प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज</u>

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं (अनिवार्य)
1	2	3
1.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
2.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– इतिहास	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से प्राचीन इतिहास/मध्यकालीन इतिहास/आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
3.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– जीव विज्ञान	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
4.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– हिन्दी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
5.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– उर्दू	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।
6.	प्रवक्ता (पुरुष/महिला)– संस्कृत	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय/संस्था से संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (2) एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि।

<u>अधिमानी अर्हताएं:–</u> अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा:–

(1) जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय</u>

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं (अनिवार्य)
1	2	3
1. या	प्रवक्ता– समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, हिन्दी, संस्कृत	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी0एड0 की उपाधि के साथ दृष्टिक्षीणता/श्रवण क्षीणता में आर0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0एड0 एम0एड0 की उपाधि। (तीन) ब्रेल पद्धति/सांकेतिक भाषा में हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का ज्ञान। (चार) क्षीण दृष्टि जनों/श्रवण क्षीण जनों के अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर0सी0आई0) में पंजीकरण। **अधिमानी अर्हताएं** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

<u>प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा</u>

क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हताएं
1.	मनोविज्ञान– प्राध्यापक	**<u>अनिवार्य</u>** (क) अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्नपत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; या (ख) अपराध–विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; या (ग) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें एम0ए0 स्तर पर सामाजिक मनोविकार (सोशल पैथालाजी) या सामाजिक अव्यवस्था (डिसआरगेनाइजेशन) का एक प्रश्न–पत्र हो या स्नातकोत्तर उपाधि के किसी प्रश्न–पत्र के बदले में अपराध मनोविज्ञान के एकपक्ष पर अपराध–विज्ञान शोध प्रबन्ध हो। **<u>अधिमानी</u>** (1) (क) विषय में डॉक्टर की उपाधि; (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान। (2) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
2	अपराध–विज्ञान और दण्ड शास्त्र–प्राध्यापक	**<u>अनिवार्य</u>** समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव–शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, बशर्ते कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न–पत्र लिखा गया हो– (क) समाज शास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञान या समाज मानवशास्त्र, और (ख) अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान। **<u>अधिमानी</u>** (1) (क) विषय में डॉक्टर की उपाधि; (ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान। (2) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने (क) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

<u>उपर्युक्त पदों की संगत सेवा नियमावलियाँ</u>

- उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 1992 (यथा संशोधित)
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 (यथा संशोधित)
- उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा नियमावली, 1985

9. आयु सीमाः– (i) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1985 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूटः– (क)** उ0प्र0 की अनुसूचित जाति, उ0प्र0 की अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 2 जुलाई, 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। **(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। **(ग)** उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि + 03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

10. मुख्य (लिखित) परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनायें:–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किये जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/–, योग रु0 225/– तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/ उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क रु0 80/– एवं ऑन–लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/– योग रु0 105/– निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ी जिस मूल श्रेणी से संबंधित होंगे उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा। (2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिनकी सूचना ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट– मुख्य (लिखित) परीक्षा के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में स्वप्रमाणित अंक पत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

11. <u>अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण अनुदेशः–</u>

(1) हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर/प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(3) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(5) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(6) कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम–2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे।

(7) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, ओ0टी0आर0 नं0, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिये।

(8) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(9) प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(10) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(11) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेन्सिल या अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना संबंधी गोलों को काला करके सही–सही भरें जो स्कैन मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोला को काला करके दी गयी सूचना के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर पत्रक (OMR Answer Sheet) पर व्हाइटनर, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग न किया जाये। उत्तर पत्रक में गोलों को

ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(13) वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में माननीय आयोग के निर्णय के क्रम में प्रयुक्त होने वाली उत्तर पत्रक तीन प्रतियों में होगी, जिसमें प्रथम प्रति मूल प्रति– गुलाबी, द्वितीय प्रति संरक्षित प्रति–हरी तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी प्रति–नीली होगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात OMR Answer Sheet की मूल प्रति तथा संरक्षित प्रति अंतरीक्षक जमा कर लेंगें एवं तीसरी प्रति (अभ्यर्थी प्रति–नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत् लागू होगी –1 प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा। यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(15) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(16) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा परीक्षा के किसी स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(17) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(18) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते है, अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON LINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (**परिशिष्ट–1**) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हतायें आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिये।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र शासनादेश संख्या–453/79–वी–1–15–1(का)14–2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. यदि अभ्यर्थी को आन–लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7. आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्रों का प्रारूप **परिशिष्ट–1** में उपलब्ध है। प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज– प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा–योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–2** में; प्रवक्ता (पुरुष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज– मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा–योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–3** में; प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कालेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय–प्रारम्भिक परीक्षा व मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा–योजना व पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–4** में; उ0प्र0 जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा– प्रारम्भिक परीक्षा व मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा–योजना व पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–5** में; तथा विषयवार/आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–6** में उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification type, directorate/ department name and post name.

Personal Details from OTR

This section shows information about candidate's personel details i.e. candidate's name, Father/Husband's name, Gender, D.O.B., UP domicile, Category status, email and contact number, photo & signature, address, Freedom fighter of U.P., Ex-Servicemen of U.P., Service duration, P.H., Skilled Player and Outstanding sports person of U.P., Debarred candidates.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details.

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are expected to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview the detailed submitted application form on clicking Preview button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in on-line application form. Being satisfied with filled details click on "Submit" button finally and get the print of submitted application form.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other Information candidates are advised to select desired option in the Commission's website **https://uppsc.up.nic.in**

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

- All Notifications/Advertisements

ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

- Double Verification mode
- View Application Status
- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट–1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/ सुपुत्री श्री .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय– समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....   हस्ताक्षर...........................

दिनांक ....   पूरा नाम.........................

मुहर ....   पद नाम...........................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/ सुपुत्री .... निवासी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...............................पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची–दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता–पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....   हस्ताक्षर ....

दिनांक ....   पूरा नाम ....

मुहर ....   पद नाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम ....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या– ....   दिनांक– ....

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिनकोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ....(कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... ग्राम/कस्बा .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... ब्लाक .... तहसील .... जिला .... राज्य .... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँः–

1. मैं .... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु. .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः— जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थानः—

दिनांकः—

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण—पत्र
(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II
Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____________ son/wife/daughter of Shri__________ Date of Birth (DD/MM/YY) ________ Age ____ years, male/female ___________ registration No. __________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/Street _________Post office_________ District________State__________.
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is_________

(A) he/she has ________% (in figure)________percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her______ (part of body) as per guidelines (.........number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr..............)	(Dr..............)	(Dr..............)
Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ___________ son/wife/daughter of Shri _____________ Date of birth (DD/MM/ YY) _______ age_____ years, male/ female__________.Registration No.__________ permanent resident of House No._________ Ward/Village/Street ________ Post Office _______ District ________ State _______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.......number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures...............percent.
In words...percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after........... years...........months, and therefore this certificate shall be valid till.... ....
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs
# - e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disabiliy

Certificate No. **Date:**

This is to certify that we have carefully examined Shri/ Smt./Kum.______ son/wife/daughter of Shri ______ Date of birth (DD/MM/YY) ____ age ___ years, male/female____.
Registration No. __________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/ Street________Post Office _______ District ________ State_______, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ___________ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (......number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

Please strike out the disabilities which is not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after..................years........................ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ....

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye/both eyes

£ e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए प्रमाण–पत्र का प्रपत्र

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... निवासी .... ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) / पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... पूरा नाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

सील ....

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या–22 / 21 / 1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण–पत्र के फार्म – 1 से 4 प्रारूप –1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

प्रारूप – 1

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम.............................

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) .... ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण–पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

पता ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेल–कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल–कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप – 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल–कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .... (क्रीड़ा / खेल–कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

पद ....

संस्था का नाम ....

मुहर ....

नोटः यह प्रमाण–पत्र निदेशक / या अतिरिक्त / संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स / शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

परिशिष्ट–2

प्रवक्ता (पुरुष / महिला) राजकीय इंटर कॉलेज

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन / वैकल्पिक विषय का एक प्रश्नपत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 (वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न) होगा जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा।

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

1– सामान्य विज्ञान
2– भारत का इतिहास
3– भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
4– भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति
5– भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार
6– विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन
7– अधुनातन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम
8– सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता
9– उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी
10– प्रारम्भिक गणित (आठवीं स्तर तक) – अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित
11– परिस्थितिकी तथा पर्यावरण

वैकल्पिक विषय (Optional Subject)

वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा।

परिशिष्ट 3

प्रवक्ता (पुरुष / महिला) राजकीय इंटर कॉलेज

मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

1. प्रथम प्रश्नपत्र–	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)	समय–02 घंटा	पूर्णांक– 100 अंक
2. द्वितीय प्रश्नपत्र–	वैकल्पिक विषय (परम्परागत)	समय– 03 घंटा	पूर्णांक– 300 अंक

पाठ्यक्रम

(प्रथम प्रश्न–पत्र)

प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी निर्धारित अंक– 50

1– अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

2– अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यावाची शब्द, तत्सम एवं तदभव, क्षेत्रीय विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द–रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरें एवं लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां।

द्वितीय खण्ड हिन्दी निबंध निर्धारित अंक– 50

इसके अन्तर्गत एक खण्ड होगा। इस खण्ड में से एक निबन्ध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगेः–

1– साहित्य, संस्कृति
2– राष्ट्रीय विकास योजनाएं / क्रियान्वयन
3– राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें / निदान
4– विज्ञान तथा पर्यावरण
5– प्रकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण
6– कृषि, उद्योग एवं व्यापार

(2) (Optional Subjects)

वैकल्पिक विषय

(द्वितीय प्रश्न पत्र)

परीक्षा योजना– वैकल्पिक विषयों के (परम्परागत) प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् हैः–

1– प्रश्नों की कुल संख्या– 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खण्डों में विभाजित रहेंगे।

खण्ड – अ– के अन्तर्गत प्रश्नपत्र में 05 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 250) एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा।

खण्ड – ब– के अन्तर्गत 05 प्रश्न लघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 150) एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

खण्ड – स– के अन्तर्गत 10 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।

प्रवक्ता (पुरुष / महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज – प्रारम्भिक / मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषय का विषयवार पाठ्यक्रम

हिन्दी

– हिन्दी साहित्य का इतिहासः हिन्दी–साहित्य के इतिहास–लेखन की परम्परा, हिन्दी–साहित्य के इतिहास का काल–विभाजन। आदिकाल– नामकरण, प्रमुख प्रवृतियाँ। भक्तिकाल– सामान्य विशेषताएँ, भक्तिकाल की धाराएँ– ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी (सूफी) काव्यधारा, कृष्णभक्ति काव्यधारा– रामभक्ति काव्यधारा, चारों काव्यधाराओं की

प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल–नामकरण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल– भारतेन्दुयुग, द्विवेदीयुग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ। प्रसिद्ध काव्य–पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों / कवियों के नाम।

– **गद्य–साहित्य का उद्भव और विकास:** निबन्ध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना। गद्य की अन्य नवीन विधाएँ–जीवनी–साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा–साहित्य, डायरी–साहित्य, व्यंग्य, इण्टरव्यू, बाल–साहित्य, स्त्री–विमर्श, दलित–विमर्श। युगप्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएँ।

– **पत्रकारिता:** प्रमुख हिन्दी पत्र–पत्रिकाएँ: प्रकाशन–स्थान, प्रकाशन–वर्ष तथा उनके प्रमुख सम्पादकों के नाम।

– **काव्यशास्त्र:** भारतीय काव्यशास्त्र–काव्यलक्षण, भेद। रस, छन्द, अलंकार, काव्य–सम्प्रदाय, काव्ययुग, काव्यदोष, शब्दशक्तियाँ।

– **भाषाविज्ञान:** हिन्दी की उपभाषाएँ, विभाषाएँ, बोलियाँ, हिन्दी की ध्वनियाँ, हिन्दी शब्द–सम्पदा।

– **हिन्दी–व्याकरण:** सन्धि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी–सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्य–सम्बन्धी अशुद्धिशोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समोच्चरित–प्राय भिन्नार्थक शब्द, विरामचिन्ह, मुहावरा और लोकोक्ति। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उपसर्ग, प्रत्यय।

– **संस्कृत**– साहित्य के प्रमुख रचनाकारों के नाम एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ: कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, भास, बाण, श्री हर्ष, दण्डी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव।

– **संस्कृत व्याकरण:** सन्धि–स्वर सन्धि, व्यंजन सन्धि, विसर्ग सन्धि। समास, उपसर्ग, प्रत्यय। विभक्ति– चिन्ह (परसर्ग)– प्रयोग एवं पहचान। शब्दरूप– आत्मन्, नामन्, जगत्, सरित्, बालक, हरि, सर्व, इदम्, अस्मद्, युष्मद्। धातुरूप– स्था, पा, गम्, पठ्, हस्, धातु– केवल परस्मैपदी रूप में। काल। हिन्दी– वाक्यों का संस्कृत अनुवाद।

English

Section 'A'

A. Authors and works

Geoffrey Chaucer; Shakespeare, John Milton, Dryden, Pope William Wordsworth, P.B. shelley, John Keats, A.L. Tennyson, Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy, W.B, Yeat T.S. Eliot,. G.B. Shaw, George orwell, Raja Rao, Mulkraj Anand Nissim Ezzekiel, Robert Frost, Ernest Hemingway, Harold Pinte, R.N. Tagore, Girish Karnad, V.S. Naipal, Amitav Gosh, Vikram Seth, Kamla Das, Ted Hughes, Walt Whitman, Khushwant Singh.

B. Literary terms, Movements, Forms, Literary criticism

* Renaissance,
* Reformation,
* Metaphysical Poetry,
* Classicism
* Romanticism,
* The Pre- Raphaelites,
* Modern Literature
* Major stanza Forms
* Sonnet
* Ballad
* Mock Epic
* Elegy
* Post Modern Literature
* Colonial Literature
* Post Colonial Literature
• Indian Writings in English

*Aristotle, Dryden, Dr. Johnson, S.T. Coleridge, Wordsworth, Matthew Arlold, T.S. Eliot.

Section 'B' Language

* A short unseen passage for comprehension
* Correction of sentences
* Direct and Indirect narration
* Transformation of sentences including Active & Passive Voice
* Synonyms,
* Antonyms,
* Homonyms
* Rearranging the Jumbled sentences
* Fill in the blanks with appropriate Prepositions.
* Idioms & phrases
* One word substitution
* Figure of speeches
* Prefixes & Suffixes

भौतिकी

1– यांत्रिकी: सदिश बीजगणित, सदिश एवं अदिश का गुणनफल, सदिशों की सर्वसमिका, सदिश कैलकुलस की पृष्ठभूमि, रेखा, पृष्ठ एवं आयतन कैलकुलस की अवधारणा, प्रवणता, डाइवर्जेन्स और कर्ल का भौतिक अर्थ, गौस एवं स्टोक का प्रमेय।

द्रव्यमान केन्द्र, घूर्णी निर्देश तंत्र, कारिआलिस बल, दृढ़ पिण्ड की गति, जड़त्व–आघूर्ण, समान्तर एवं लम्बवत अक्षीय प्रमेय, गोला, रिंग, बेलन एवं चक्रिका का जड़त्व–आघूर्ण, कोणीय संवेग, बल–आघूर्ण, केन्द्रीय बल, केपलर के लिए नियम, उपग्रह की गति (भूस्थैतिकी उपग्रह सहित) गैलीलियन रूपान्तरण समीकरण, द्रव्यमान एवं लम्बाई का वेग के साथ परिवर्तन, काल–वृद्धि, वेगों का योग और द्रव्यमान–ऊर्जा समतुल्यता का सम्बन्ध।

धारारेखीय एवं विक्षोभ प्रवाह, रेनाल्ड संख्या, स्टोक्स का नियम, पाइजुली का सूत्र, केशनली में द्रव का प्रवाह, बरनौली का सूत्र एवं अनुप्रयोग, पृष्ठ तनाव।

प्रतिबल एवं विकृति का सम्बन्ध– हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, पायसां–निश्पत्ति प्रत्यास्थ ऊर्जा।

भौतिक जगत एवं मापन, शुद्ध गातिकी, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, गुरूत्वार्षण

2– तापीय भौतिकी: ताप की संकल्पना एवं शून्यता नियम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम एवं आन्तरिक ऊर्जा, समतापीय एवं रूद्धोष्म परिवर्तन। ऊ़ष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, एन्ट्रापी कार्नो चक्र एवं कार्नोइंजिन, मैक्सवेल के उ़ष्मागतिकी सम्बन्ध, क्लासियस क्लेपरान समीकरण, पोरस प्लग प्रयोग एवं जूल –थामसन प्रभाव।

गैसों का अणुगति सिद्धान्त, मैक्सवेल के अणुगति वितरण का नियम। औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग एवं सर्वाधिक प्रायिकता वाले वेग की गणना। स्वतंत्रता कोटि, ऊर्जा का समविभाजन का नियम, गैसों की विशि़ष्ट ऊ़ष्मा माध्य मुक्त पथ, परिवहन घटनाएं।

कृष्णिका विकिरण, स्टीफन का नियम एवं न्यूटन का शीतलन नियम, वीन का नियम, रेले जीन का नियम, प्लांक का नियम, सौर स्थिरांक, रूद्धो़ष्म विचुम्बकन द्वारा निम्न ताप का उत्पादन।

आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगति सिद्धान्त।

3– तरंग एवं दोलन:–

दोलन, सरल आवर्त गति, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगें, अवमंदित आवर्तगति, प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, अनुनाद की तीक्ष्णता, तरंग गति, समतलीय एवं गोलीय तरंगें, तरंगों का अध्यारोपण, आवर्ती तरंगों का फुरिये विश्लेषण– वर्गीय तथा त्रिभुजन–कर्ता तरंगें, कलावेग एवं समूह वेग, विस्पन्द

4– प्रकाशिकी– समअक्षीय निकाय के प्रधान विन्दुए, पतले लेसों के संयोजन पर आधारित सरल प्रश्न, नेत्रिका–रेम्सडन व हाइगेन्स।

हाइगेन्स का सिद्धान्त, व्यतिकरण के निरूपण की शर्तें, यंग का दो पट्टियों का प्रयोग।

आयाम एवं तरंगाग्र का विभाजन,फेनेल का द्विक प्रिज्म, न्यूटन –बलय, माइकल्सन का व्यतिकरणमापी

सीधी कोर (Straight edge), एकल, द्विक, बहु झिर्री द्वारा, विवर्तन, रैले निकष (कसौटी), ग्रेटिंग व प्रकाशीय यंत्रों की विभेदन क्षमता।

ध्रुवीकरण, ध्रुवित प्रकाश(रेखीय, वृत्तीय व दीर्घवृत्तीय) का उत्पन्न करना तथा संसूचन, ब्रुस्टर का नियम, हाइगेन्स की द्विक अपवर्तन का नियम, प्रकाशीय घूर्णन, ध्रुवणमापी,

लेसर–कालिक तथा स्थानिक सम्बद्धता, स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन, लेसर उर्त्सजन के बारे में सामान्य अभिधारणा–रूबी तथा हीलियम–नियॉन लेसर।

5– विद्युत तथा चुम्बकत्व:– गॉस–नियम तथा अनुप्रयोग, विद्युत विभव, किरचॉफ का नियम तथा अनुप्रयोग, हीटस्टोन सेतु, बायो–सेवर्ट नियम तथा इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का परिपथीय नियम एवं अनुप्रयोग, चुम्बकीय प्रेरण तथा क्षेत्र तीव्रता वृत्तीय, कुण्डली के अक्ष पर चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे तथा लेंज का नियम, स्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व प्रत्यावर्तीधारा, एल0सी0आर0 परिपथ, श्रेणी एवं समान्तर अनुनाद परिपथ, क्वालिटी (गुणवत्ता गुणांक), प्रत्यावर्ती सेतु, मैक्सवेल के समीकरण तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, प्वाइंटिग सदिश,–प्रति.,– अनु–,लौह,–, प्रतिलौह– तथा फेरी– चुम्बकत्व (गुणात्मक), शैथिल्य।

6– आधुनिक भौतिकी:– हाइड्रोजन परमाणु का बोर का सिद्धान्त, इलेक्ट्रान चक्रण, पाउली का अपवर्जन सिद्धान्त, प्रकाशीय तथा एक्स–किरण स्पेक्ट्रा, दिशिक क्वान्टमीकरण, स्टर्न–गेंरलॉक का प्रयोग, परमाणु का सदिश मॉडल,

स्पेक्ट्रल पद, स्पेक्ट्रल रेखाओं का सूक्ष्म संरक्षण, जे0जे0 तथा एल–एस युग्मक जीमॉन, रामन, प्रकाश–विद्युत एवं काम्पटन–प्रभाव, द ब्राग्ली तरंगें, तरंग कण द्वैत, अनिश्चितता का सिद्धान्त, क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणायें, श्रोडिजर तरंग समीकरण तथा (1) बाक्स में कण, (2) सोपान–विभव में गति एवं (3) एकल विमीय रेखीय आवर्ती लोलक में उपयोग, आइगन–मान, जालक, विशिष्ट ऊष्मा, ऊर्जा बैण्ड, कॉनी–पेनी माडल(एकल विमीय), ऊर्जा गैप, धातुओं, अर्धचालकों एवं कुचालकों में अन्तर, ताप के साथ फर्मी स्तर का परिवर्तन, प्रभावी द्रव्यमान।

रेडियोधर्मिता, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण, अल्फा ह्रास का प्रारम्भिक सिद्धान्त, नाभिकीय बन्धन ऊर्जा, अर्धमूलानुपातिक द्रव्यमान सूत्र, नाभिकीय विखण्डन तथा संलयन, प्रारम्भिक रियक्टर भौतिकी, मूल कण, कण त्वरक, साइक्लोट्रान, रेखीय त्वरक, अतिचालकता की प्रारम्भिक धारणा।

7– इलेक्ट्रानिक– निज तथा बाह्य अर्द्ध चालक, पीएन सन्धि, (P-N Junction) ऊष्मा प्रतिरोधक, जेनर डायोड, और अभिलाक्षणिक वक्र, द्विध्रुवीय एवं एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर, सौर सेल, डायोड एवं ट्रांजिस्टर का दिष्टीकरण प्रवर्धन, द्योलक, मॉडुलेटर तथा संसूचक के रूप में उपयोग, रेडियो–आवृत्ति तरंगों का संसूचन, लाजिक गेट तथा उसकी सत्य तालिका तथा अनुप्रयोग।

रसायन विज्ञान

(अ) भौतिक रसायन– गैसों का आणविक वेग, माध्य मुक्त पथ तथा संघट्ट व्यास, गैसों का द्रवीकरण, आदर्श तथा अनादर्श गैसों में जूल थामसन गुणांक, व्युत्क्रम ताप, आदर्श गैस व्यवहार से विक्षेप, वान डर वाल्स समीकरण अवस्था, संगत अवस्था नियम, क्रान्तिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांकों के साथ इनके सम्बन्ध।

द्रव अवस्था– पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव, श्यानता, ताप और दाब का श्यानता पर प्रभाव।

ठोस अवस्था– क्रिस्टलीय निकायों में सममिति, मिलर सूचकांक, बन्द निचयन, सह संयोजन संख्या, Naϵ1 और ϵaf_2 की संरचना, क्रिस्टल दोष।

उष्मा गतिकी– उष्मा गतिकी का प्रथम नियम तथा इसकी सीमाएं, निकायों की एन्थैल्पी, अभिक्रिया उष्मा, संभवन उष्मा, दहन उष्मा तथा उदासीनीकरण, उष्मा, ह्वेस का नियम तथा इसके उपयोग, आबन्ध उर्जा तथा अनुनाद उर्जा, स्थिर आयतन एवं स्थिर दाब पर उष्मा धारिताएँ, Cp तथा Cv में सम्बन्ध, विस्तीर्ण तथा मात्रा स्वंतत्र गुणधर्म, उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, कार्नो चक्र, एन्ट्रोपी की अवधारणा, ताप तथा आयतन। दाब के परिवर्तन के साथ एन्ट्रोपी में परिवर्तन, मुक्त उर्जा की अवधारणा, हेल्म–होल्टज तथा गिब्स मुक्त उर्जा, गिब्स हेल्स–होल्ट्स समीकरण, साम्यावस्था की उष्मा गतिकी की कसौटी, क्लेपिरान–क्लासियस समीकरण तथा इसके उपयोग, वान्ट हाफ समीकरण तथा गिब्स डूहेम समीकरण।

तनु विलियन– आदर्श तथा अनादर्श विलयन, राउल्ट–नियम, अणुसंख्य गुणधर्म (उष्मागतिकी के आधार पर) विलयनों में वाष्पदाब अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन एवं हिमांक अवनमन, असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा इसके आधार पर विलेय का अणुभार ज्ञात करना।

अन्तर सतह परिघटना– भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, फ्रेन्डलिस अधिशोषण समतापीय, लैंग्म्यूर अधिशोषण समतापीय।

कोलायडी अवस्था– स्कन्दन, स्कन्दन मान, स्वर्ण संख्या हार्डी–शुल्ज नियम, कोलायडो का स्थायित्व, जीटा–विभव।

रासायनिक गतिकी– अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि, अभिक्रिया वेग, शून्य, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं एवं उनका निर्धारण, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, सक्रियण उर्जा, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण की कसौटियाँ, एन्जाइम–उत्प्रेरण, आयनिक अभिक्रियाओं में प्राथमिक लवण प्रभाव।

रासायनिक साम्य– सक्रिय द्रव्यमान का नियम तथा समांगी एवं विषमांगी साम्यों में इसका उपयोग, Kp तथा Kc में सम्बन्ध, ली सैटेलियर नियम तथा रासायनिक साम्यों में इसका उपयोग, वियोजन की मात्रा तथा असमान्य अणुभार, लवणों का जल अपघटन, ब्रान्स्टेड तथा लुइस अम्ल तथा क्षार pH बफर तथा विलयन, अल्प विलेय लवणों की विलेयता तथा विलेयता गुणांक।

वैद्युत रासायन– वैद्युत चालकता–तुल्यांकी, विशिष्ट तथा आणविक चालकतायें, विलयन की तनुता के साथ चालकताओं में परिवर्तन, कोलराउश का नियम, चालकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, एकाकी इलेक्ट्रोड के प्रकार तथा इनके विभव, सेल का विद्युत वाहक बल, नर्न्स्ट समीकरण, विद्युत वाहक बल तथा साम्य स्थिरांक, अभिगमन रहित तथा सहित सान्द्रण सेल की अवधारणा, द्रव संधि विभव, अभिगमन रहित रासायनिक सेल, ईंधन सेल।

(ब) अकार्बनिक–

परमाणु संरचना– इलेक्ट्रान का द्वैती स्वरूप, हाइजेनबर्ग का अनिश्चिता का सिद्धान्त, स्रडिजंर तरंग समीकरण, परमाणु कक्षक, क्वाण्टम संख्यायें, S.P.d.f. कक्षकों की आकृति, आफवायु नियम एवं पाउली का अपवर्जन नियम, हुण्ड का नियम, तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, आधुनिक आवर्तसारणी, तत्वों के आवर्ती गुण और आवर्तसारणी में इनकी प्रवृत्ति,

रासायनिक बन्ध – आयनिक बन्ध, जालिक ऊर्जा, बार्नहैबर चक्र, विलायक ऊर्जा, सहसंयोजक बन्ध (फजान नियम), बन्ध क्रम, समांग एवं विषमांग नाभिकीय अणुओं के ऊर्जा, स्तर आरेख संकरण एवं अकार्वनिक अणुओं एवं आयनों की आकृति, संयोजकताकोष इलेक्ट्रान युग प्रतिकर्षण(वी.एस.आई.पी.आर.) सिद्धान्त एवं इसके उपयोग। नाभिक का स्थायित्व, द्रव्यमान दो एवं नाभिक बन्धन ऊर्जा, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन तथा विखंडन, कार्बन डेटिंग

S–ब्लाक के तत्व– लिथियम एवं बेरीलियम के रसायन, असमान्य व्यवहार तथा विव सम्बन्ध,

P–ब्लाक के तत्व– तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता तथा समूह में वर्ताव, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनके हाइड्राइडो एवं हेलाइडों की संरचना, O,N,P,S, एवं हैलोजनों के आक्सी अम्ल, अन्तर हैलोजन

d–ब्लाक के तत्व– सामान्य लक्षण, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था, संकुल संभवन, चुम्बकीय गुणधर्म, रंग तथा उत्प्रेरकी गुण, संकुल यौगिक–नामकरण, धात्वीय संकुलों का त्रिविम रसायन तथा समावयवता, प्रभावी परमाणु क्रमांक एवं संयोजकता आबन्ध सिद्धान्त, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त, चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा, वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रियायें, इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम, चतुष्फलकीय और अष्ठफलकीय संकुलों का आणविक् कक्षक ऊर्जा, स्तर आरेख (केवल d1-d9 सिगमा–बन्ध) अवस्थाओं के लिए आर्गेल ऊर्जा, स्तर चित्र

कार्बधात्विक रसायन, कार्बधात्विक यौगिकों की परिभाषा, नामकरण तथा वर्गीकरण, जैव अकार्बनिक रसायन–मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल एवं स्यानोकोबाल अमीन की संरचना एवं कार्य।

f–ब्लाक के तत्व– इलेक्ट्रानिक संरचना, लेन्थेनाइड संकुचन एवं इसके प्रभाव, चुम्बकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुण धर्म एवं संक्रमण तत्वों से इनकी भिन्नता, आयनस्थान्तरण तथा विलायन निष्कर्षण विधियों से लेन्थेनाइर्डो का पृथक्करण, एक्ट्रिनाइडो का रसायन।

कार्बनिक रसायन–

1– कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धान्त और तकनीकें:–

क– कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण

ख– कार्बनिक यौगिकों का आई0यू0पी0ए0सी नामकरण

ग– कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाओं का प्रकार

घ– कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि

होमोलिटिक, हैटरोलिटिक विदलन, कार्बो. केटायन, कार्बएनायन, कार्बिन, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रानस्नेही, नामिक स्नेही, एस.एन.1 एवं एस.एन.2 अभिक्रियायें।

ङ– सह संयोजी बन्ध में इलेक्ट्रानों का विस्थापन– प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन

च– कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियाँ :–

प्रभाजी आसवन, भाप आसवन, वर्ण लेखन
छ– कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का निर्धारण
2– समावयवता–संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता (ज्यामितीय एवं प्रकाशिक समावयवता) संरूपण, चलावयवता
3– हाइड्रोकार्बनः–
क– एल्केन, ऐल्कीन एवं ऐल्काइन के बनाने की विधियाँ एवं इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण ओजोनोलिसिस द्वारा एल्कीनों में द्विबन्ध की स्थिति का निर्धारण।
ख– सौरभिक यौगिकः– बेंजीन– एरोमेटिकता बनाने की विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि– नाइट्रेशन, सल्फोनीकरण हैलोजनीकरण, फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया, बेंजीन की संरचना, कैंसरजनीयता और विषाक्तता। बेंजीन में मूलकों / समूहों के निर्देश प्रभाव यथा ओ0–पी0 या एम0 निर्देश करने वाले समूह। टॉलूईन–बनाने की विधियाँ, गुण तथा उपयोग।
ग– बेंजीन के व्युत्पन्न– फीनोल, एनीलीन, एनीसाल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि, भौतिक एवं रासायनिक गुण।
4– हैलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। क्लोरोफार्म एवं आयडोफार्म के बनाने की विधि तथा गुण, फ्रेयान।
5– एल्कोहल– वर्गीकरण, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। निर्जलन की क्रियाविधि, डिनेचर्ड स्प्रिट, पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। किण्वन। ग्लिसरोल की प्रमुख रासायनिक क्रियायें।
6– एल्डिहाइड एवं कीटोन– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण, नाभिक सभी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि।
7– ईथर– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण–धर्म एवं उपयोग।
8– कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं उनके व्युत्पन्न–
क– अम्लों के बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूहों का प्रभाव।
ख– एसिड हैलाइड, एस्टर, एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड बनाने की विधि एवं सामान्य गुण।
9– नाइट्रोजनयुक्त कार्बनिक यौगिकः–
क– एमीन–वर्गीकरण, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण। ऐमीनों के क्षारीय गुण, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान।
ख– नाइट्रोयोगिक– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक एवं रासायनिक गुण।
ग– सायनाइड और आइसोसायनाइड– बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक तथा रासायनिक गुण।
10– जैव अणुः–
क– कार्बोहाइड्रेट– मोलिश परीक्षण, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोस– बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, ग्लूकोस का विन्यास, ग्लूकोस की रिंग संरचना, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, ग्लूकोस के एनोमर।
ख– प्रोटीन– अल्फा अमीनों अम्ल, पेप्टाइड बन्ध, पाली पेप्टाइड, प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्रोटीन का विकृतीकरण, ज्वीटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक बिन्दु।
ग– लिपिड और हारमोनः–
वसा एवं तेल– परिचय, वसा तथा तेल में अन्तर, तेल और वसा के गुण।
स्टेरायड– प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्टेरायड
हारमोन– वर्गीकरण, हारमोनों के शरीर क्रियात्मक प्रकार्य
घ– विटामिन– वर्गीकरण एवं कार्य, कमियों से होने वाले रोग।
ङ– न्यूक्लीक अम्ल– न्युक्लिओसाइड्स और न्युक्लिओटाइडस
डी0एन0ए0 की प्राथमिक संरचना
डी0एन0ए0 और आर0एन0ए0 में अन्तर
डी0एन0ए0 फिंगर प्रिन्टिंग।
11– बहुलक– वर्गीकरण (प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक) बहुलीकरण की विधियाँ– योग बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण।
योग बहुलीकरण– पालीथीन, टेफ्लान, पी0वी0सी0 ब्यूना–एस, ब्यूना–एन, नीओप्रिन।
संघनन बहुलीकरण– नायलान–6, नायलान 6,6, पालीएस्टर–टैरीलीन, बैकेलाइट, मिथाइल मेलामाइन। जैव अपघटनीय और जैव अनअपघटनीय बहुलक।
12– दैनिक जीवन में रसायन–
क– औषधियों में रसायन– पीड़ाहारी, प्रशान्तक, पूर्तिरोधी, विसंकामी, प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियाँ, प्रति जैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टेमीन, प्रतिआक्सीकारक,
ख– खाद्य पदार्थों में रसायन– खाद्य परिरक्षक, कृत्रिम मधुरक,
ग– अपमार्जक– साबुन तथा अपमार्जक में अन्तर।
साबुन की निर्मलन क्रिया।

जीव विज्ञान

खण्ड– अ– वनस्पति विज्ञान

(1) पादप विविधता
क– पौधों का वर्गीकरण (टेक्सोनॉमी)
ख– निम्नलिखित के प्रकृति, आवास एवं संरचना का अध्ययन
1– एल्गी 2– ब्रायोफाइटा 3– टेरिडोफाइटा
4– जिम्नोस्पर्म 5– एन्जियोस्पर्म एवं इसके कुलों, कूसी फेरी कम्पोजिटी, मॉलवेसी, लिलिएसी एवं सोलेनेसी का अध्ययन
2– एन्जियोस्पर्म– आकारिकी एवं आकारिकीय अनुकूलन उनकी पत्तियों, जड़ एवं तने मेंः पादप हिस्टोलोजी, पौधों में वृद्धि, प्रजनन एवं विकास
3– पादप कार्मिकी– 1– जल सम्बन्ध– वाष्पोत्सर्जन, ट्रान्सलोकेशन
2– प्रकाश संश्लेषण और फोटो केमिस्ट्री
3– श्वसन एवं उपापचय
4– पौधों के पोषण (पोषक तत्व नाइट्रोजन फिक्सेशन)
5– पौधों के वृद्धि नियंत्रक (फाइटोहार्मोन्स)
6– फ्लावरिंग एवं स्ट्रेस फीजियोलोजी
7– पादप वृद्धि एवं गति
4–माइक्रो वायेलोजी–1– वायरसेज, फाइटो प्लाज्मा, आर्की वैक्टीरिया यूवैक्टीरिया
2– फन्जॉई (सामान्य लक्षण, वर्गीकरण, वृद्धि एवं प्रजनन, जीवन चक्र)
3– आर्थिक महत्व सूक्ष्म जीवों का
5– इकोनामिक बाटनी– 1– मेडिसिनल एवं एरोमेटिक पौधे
2– भोज्य पादप
3– चारे सम्बन्धी पौधे
4– रेशेदार पौधे एवं फसलें
5– फल एवं सब्जियों वाले पौधे
6– इथिनो, बॉटनी
7– सजावटी पौधे
8– तेल पैदा करने वाले पौधे
9– टिम्बर उपयोगी पौधे
10– बहुपयोगी पौधे
6– प्लान्ट पैथोलोजी– 1– पौधों में विभिन्न बीमारियों, रोक थाम एवं देखभाल करके नियंत्रण।
2– पौधों में विभिन्न बीमारियों एवं परजीवियों क्रास नियंत्रण
7– इकोलोजी और वातावरण–
1– पारिस्थितिकीय अवधारणा एवं वातावरण
2– भिन्न प्रकार के आवास एवं इकोलॉजिकल निशें
3– पारिस्थितिक तन्त्र– संरचना एवं कार्य, पारिस्थितिक तन्त्र स्थायित्व, संग्रहण क्षमता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकीय पिरामिड बायोमास
4– जनसंख्या, बायोटिक कम्युनिटी
5– बायोजियो केमिकल्स–चक्र
6– इकोलॉजिकल सक्सेशन
7– प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण
8– जैव विविधता एवं संरक्षण (अनसिट् और इक्ससिट)
9– वातावरणीय प्रदूषण कारण एवं दुष्प्रभाव, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, युट्रा फिकेशन, वायोलॉजीकल मैगनीफिकेशन, समुद्री प्रदूषण, समुद्रीअम्लीकरण, समस्त प्रकार के प्रदूषणों का नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं ग्रीन हाउस प्रभाव, इनवॉयरनमेन्टल मैनेजमेन्ट, रिनियेवुल ऊर्जा स्रोत सस्टेनेवुल विकास, बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था।

खण्ड–ब

जन्तु विज्ञान

1– जीव विविधता– जन्तुओं का वर्गीकरण उनके लक्षणों सहित।
2– अकशेरुकी–
अ– अकशेरुकी का वर्गीकरण।
ब– निम्नलिखित अकशेरुकी की–
संरचना, आन्तरिक संरचना, पोषण, श्वसन तथा प्रजनन–
अमीबा, साइकन, हाइड्रा, एस्केरिस, काकरोच, पायला तथा तारा–मछली।
स– परजीवी प्रोटोजोआ।
द– हेलमिन्थ में परजीवी अनुकूलन।
न– कीटों का आर्थिक महत्व।
3– कशेरुकी–
अ– कशेरुकी का वर्गीकरण तथा प्रत्येक वर्ग के लक्षण व उदाहरण।
ब– मछलियों में जलीय अनुकूलन।
स– स्थलीय कशेरुकी की उत्पत्ति तथा विकास।
4– मेढक, कबूतर तथा खरगोश की आन्तरिक संरचना।
5– जन्तु ऊतिकीय।
6– शरीर क्रिया विज्ञान– (कार्यिकी)–
अ– पोषण तथा भोजन का पाचन।
ब– श्वसन तथा उपापचय।
स– रुधिर संवहन तंत्र– रुधिर, हृदय तथा रुधिर संवहन, परिसंचरण।
द– आस्मोरेगुलेशन, नाइट्रोजन, उत्सर्जन तथा लवण व जल संतुलन।
न– चलन क्रिया।
प– अंतः– स्रावी ग्रन्थियां तथा हारमोन्स, फिरोमान्स।
फ– तंत्रिका तंत्र– कोआर्डीनेशन व इन्टीग्रेसन तथा ज्ञानेन्द्रियां।
म– प्रतिरक्षा तंत्र।
7– भ्रूण विज्ञान–
अ– गैमीटोजेनेसिस।
ब– फर्टीलाइजेसन– निम्न एवं उच्च वर्ग के जन्तुओं में।
स– डिम्ब के प्रकार तथा क्लीवेज।
द– आरगेनोजनीसिस एवं मेटामोरफोसिस।
न– मेढक का भ्रूणीय विकास तथा कायान्तरण।
प– पक्षियों में भ्रूणीय झिल्लियां।
फ– स्तनधारियों में अपरा।
म– पुनरुद्भवन।
य– मानव जनन एवं जनन कार्यिकी।
8– कोशिका विज्ञान–
1– प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं– इनकी संरचना व लक्षण।
2– कोशिका विभाजन– समसूत्री एवं अर्द्ध–सूत्री।
3– विभिन्न कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य।
4– गुण–सूत्रों की संरचना तथा कोशिका विभाजन के समय इनका व्यवहार।
5– न्यूक्लिक अम्ल– (अ) डी0एन0ए0 एवं आर0एन0ए0 की आणुविक संरचना
(ब) एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डी0एन0ए0
(स) डी0एन0ए0 द्विगुणन तथा पुनर्निर्माण
(द) जेनेटिक कोड, सेन्ट्रल डोग्मा, प्रोटीन संश्लेषण तथा जीन की अभिव्यक्ति
9– आनुवंशिकी– (अ) मेन्डेल के आनुवंशिकी नियम
(ब) को–डामिनेन्स, इनकम्प्लीट डामिनेन्स तथा जीन्स की विनिमय क्रियाएं
(स) वंशागति क्रोमोसोमी सिद्धान्त
(द) लिन्केज तथा क्रासिंग ओवर
(घ) लिंग निर्धारण
(प) बहुजीनी वंशागति तथा बहुगुणितता
(फ) मानव आनुवंशिक रोग
(भ) उत्परिर्वतन
10– जैव प्रौद्योगिकी– (अ) जैव प्रौद्योगिकी की परिकल्पना, सिद्धान्त तथा क्षेत्र
(ब) जैव–प्रौद्योगिकी की संयम तथा तकनीक
(स) रिकाम्बिनेन्ट डी0एन0ए0 तकनीक तथा मानव–कल्याण में इसकी उपयोगिता
(द) टिश्यू कल्चर तथा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन
(न) जेनेटिकली मॉडीफाइड आर्गेनिज्म (जोखिम व नैतिक विषय)
11– जैव–विकास– (अ) जैव विकास की परिकल्पना एवं सिद्धान्त
(ब) जीवन की उत्पत्ति
(स) जैव–विकास के सिद्धान्त (लैमार्क एवं डार्विन)
(द) जैव–विकास के साक्ष्य
(न) नव–डार्विनिज्म तथा विकास की सिन्थैटिक थ्योरी
(प) विविधता
(फ) मानव विकास

गणित

1. सम्बन्ध और फलनः सम्बन्धों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्य सम्बन्ध, तुल्यता क्लास, एकैकी एवं आच्छादक फलन, संयुक्त फलन, प्रतिलोम फल, द्विआधारी संक्रियायें।
2. बीज गणितः
(i) आव्यूहः आव्यूह के प्रकार, शून्य आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, सममित और विसममित आव्यूह, आव्यूह का सहखण्डन, आव्यूह का प्रतिलोम, आव्यूह की सहायता से अज्ञात राशियों के युगपत के समीकरण का हल।
(ii) सारणिकः उपसारणिक व सहखण्ड 3X3 क्रम तक के सारणिक का विस्तार सारणिक के गुण धर्म, सहखण्डज एवं

प्रतिलोम ज्ञात करना (वर्ग आव्यूह का)। संगति एवं असंगति तथा रेखीय समीकरणों का हल व उदाहरण। दो या तीन चर राशियों के रेखीय युगपद समीकरणों का हल प्राप्त करना।

(iii) दो या अधिक कोटि के समीकरण का सिद्धान्त, समान्तर, गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणी, क्रमचय एवं संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकी एवं लघुगणकीय सीरिज का योग।

(iv) प्रायिकताः प्रायिकता का गुणनप्रमेय, प्रतिबन्धित प्रायिकता, स्वतन्त्र घटनायें, पू प्रायिकता, वेजप्रमेय, द्विपद वितरण,

अवकलन एवं समाकलनः (i) फलन की सीमा, सततता एवं अवकलनियता, संयुक्त फलन व्युत्पत्ति या अवकलज, विभिन्न प्रकार के फलनों की अवकलजनियता, श्रृखला नियम, रोका प्रमेय, लैंग्राजि का मध्यमान प्रमेय, मेक्लारिन्स एवं टेलर श्रेणी, एल. हास्पिटल का नियम आंशिक अवकलन, क्रमागत अवकलन लिब्निट्ज का प्रमेय, दिये वक्र पर स्पर्शी एवं अभिलम्ब का समीकरण, निम्निष्ठ एवं उच्चिष्ठ, वर्धमान फलन व ह्रासवान फलन।

(ii) समाकलनः समाकलन के विभिन्न विधियाँ, निश्चित समाकलन, फलनों के योग एवं गुणन की सीमा, निश्चित समाकलन के गुणधर्म, निश्चित समाकलन को हल करना। साधारण वक्र के क्षेत्रफल में समाकलन का प्रयोग, गोले, कोन व सिलिण्डर का पृष्ठीय एवं आयतन ज्ञात करना।

(iii) अवकल समीकरणः अवकल समीकरण की कोटि एवं घात, जिसका सामान्य हल दिया हो उसका अवकल समीकरण बनाना, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण (अचर गुणांकों के), समघात अवकल समीकरण।

द्विवीमीय निर्देशांक ज्यामितिः समघातीय एवं असम–घातीय रेखायुग्म का समीकरण, रेखायुग्म होने का प्रतिबन्ध (वृत्त, परवलय, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त) उपरोक्त वक्र पर स्पर्शियों एवं अभिलम्बों का समीकरण, दो शांकवों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्शि युग्म, स्पर्श की जीवा, उपरोक्त शांकवों के ध्रुवीय रेखायें।

(i) सदिशः सदिश एवं अदिश राशियाँ, इकाई सदिश, दिकाज्या एवं दिक–अनुपात,

सदिशों का अचर का सदिश के साथ गुणन, अदिश एवं सदिश गुणन का भौतिकी में अनुप्रयोग (किया हुआ कार्य, आघूर्ण), रेखा का सदिशों प्रक्षेप, दो सादिशों के मध्य का कोण।

(ii) त्रिविमीय ज्यामितिः दो बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखा का दिकोज्या दिक–अनुपात रेखा का कार्तिय एवं सदिश समीकरण, समतलिय एवं विसमतलीय रेखायें रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, समतल में कार्तिक एवं सदिश का समीकरण, दो रेखा के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य का कोण, एक रेखा की समतल से दूरी, दो रेखा का प्रतिच्छेदन, रेखा एवं समतल का प्रतिच्छेदन दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो समतलों प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले समतल का समीकरण।

ग्रुपः उदाहरण– विशेष रूप से इकाई के n मूलों का ग्रुप, अवशेष वर्ग माडलों n तथा माडलों p (जहाँ p अभाज्य संख्या है) के ग्रुप, उपग्रुप, समाकारिता, तुल्यकारिता, समाकारिता के गुण, उपसमुच्चय द्वारा जनित उपग्रुप, ग्रुप के अवयव का कोटि, चक्रीय ग्रुप, समामित ग्रुप Sn लैंगरेन्ज की प्रमेय, फरमैट की प्रमेय (उपयोगिता के दृष्टिकोण से) प्रासामान्य उपग्रुप समाकारिता का मौलिक प्रमेय, अंतराकारिता, स्वाकारिता, प्रथम एवं द्वितीय तुल्यकारिता प्रमेय।

वलय एवं क्षेत्रः सरल उदाहरण जैसे (Zn,+,.), (Zp,+,.)

रैखिक बीजगणितः सदिश समष्टि के उदाहरण, उपसदिश समष्टि, रेखिक आश्रितता, रैखिक अनाश्रितता, सदिश समष्टि का आधार एवं विमा, विभाग समष्टि, उपसदिश, समष्टियों का योग तथा प्रत्यक्ष योग।

रैखिक रूपान्तरणः रैखिक रूपान्तरण की अष्टि तथा प्रतिविम्ब, रैखिक रूपान्तरण की कोटि एवं शून्यता तथा कोटि–शून्यता का प्रमेय, संयुक्त रैखिक रूपान्तरण की कोटि एवं शून्यता व्युतक्रमणीय एवं नियमित रैखिक रूपान्तरण, रैखिक रूपान्तरण का परिवर्त, रैखिक रूपान्तरीकरण का आव्यूह।

सदिश अवकलनः ग्रेडियन्ट, डाइवर्जेन्स तथा कर्ल, प्रथम कोटि सदिश तत्संमक, दिक अवकल (अनुप्रयोग के अनुसार)

सदिश समाकलनः रेखीय समाकलन, पृष्ठ समाकलन, आयतन समाकलन, ग्रीन का प्रमेय, गॉस डाइवर्जेन्स प्रमेय, स्टोकस प्रमेय (अनुप्रयोग की दृष्टि से)।

रिमान समाकलनः असतत फलनों का समकलन, परिबध फलन का निम्न एवं उच्च समाकलन, पग फलन एवं चिन्ह फलन का समाकलन।

स्थिति विज्ञानः तीन बलों के अन्तर्गत किसी पिण्ड का सन्तुलन, समतलीय बल, समतलीय बल निकाय के अन्तर्गत सन्तुलन के सामान्य प्रतिबन्ध, गुरुत्व केन्द्र, कामन केटिनरि, घर्षण।

गति विज्ञानः गुरुत्व के अधीन उर्ध्वाधर समतल में प्रक्षेप की गति, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, चिकने पिण्डों का सीधा संघट्ट, रेडियल एवं ट्रान्सवर्स वेग तथा त्वरण, स्पर्शीय एवं अभिलम्ब गति तथा त्वरण।

त्रिकोणमिति: त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिभुज के गुणधर्म, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ऊंचाई और दूरी, सम्मिश्र संख्यायें, डिमायवर प्रमेय और इसके प्रयोग, इकाई के दमूल।

रैखिक प्रोग्रामन, लघुगणकीय अवकलन, अस्पष्ट फलनों के अवकलन, सन्निकटन, राशियों की परिवर्तन की दर के रूप में अवकलज का अनुप्रयोग, सरल रेखा, रेखा समीकरण के विविध रूप (अक्षों के समान्तर बिन्दु ढाल रूप, लम्ब रूप, ढाल अन्तःखण्ड रूप)।

संस्कृत

वैदिक साहित्य

ऋग्वेद – अग्नि सूक्त (1.1.1), विश्वेदेवा सूक्त (1.89), विष्णु सूक्त (1.154), प्रजापति सूक्त (10.121)।
यजुर्वेद – शिव संकल्प सूक्त (34.1–6)।
कठोपनिषद् – प्रथम अध्याय (1–3 वल्ली)
ईशावास्योपनिषद – (सम्पूर्ण)
वैदिक वाङ्मय का संक्षिप्त इतिहास (काल निर्धारण, प्रतिपाद्य विषय)
वेदांग का संक्षिप्त परिचय (शिक्षा, निरुक्त, छन्द)

दार्शनिक चिन्तन

सांख्य दर्शन – सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण, सत्कार्यवाद, त्रिगुण का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप (ग्रन्थ– सांख्यकारिका)
वेदान्त दर्शन – अनुबन्ध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप (ग्रन्थ– वेदान्तसार)
न्याय/वैशेषिक दर्शन – प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द) (ग्रन्थ– तर्कभाषा, तर्कसंग्रह)
गीता दर्शन – निष्काम कर्म योग, स्थितप्रज्ञ का स्वरूप (गीता : द्वितीय अध्याय)
जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय (ग्रन्थ– भारतीय दर्शन –बलदेव उपाध्याय)

व्याकरण

1. लघुसिद्धान्त कौमुदी – संज्ञा प्रकरण, सन्धि प्रकरण, कृदन्त प्रकरण, तद्धित प्रकरण, स्त्री, प्रत्यय, समास।
2. सिद्धान्तकौमुदी – कारक प्रकरण।
3. वाच्य परिवर्तन (कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य)।
4. शब्द रूप (परस्मैपदी, आत्मनेपदी) – भू, एध्, अद्, हु, दा, दिव्, सु, तुद्, रुध्, तन्, की, चुर्।

भाषा विज्ञान

1. भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा
2. भाषाओं का वर्गीकरण
3. ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन

साहित्य शास्त्र

काव्य प्रकाश/साहित्य दर्पण– काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्यहेतु, काव्यभेद। शब्द–शक्ति (अभिधा, लक्षणा, व्यंजना)। रस का स्वरूप, रस भेद, विभाव–अनुभाव–संचारी भाव, स्थायी भाव, भाव का स्वरूप। गुण का स्वरूप एवं भेद। रीति का स्वरूप एवं भेद। अधोलिखित अलंकार का सामान्य परिचय–शब्दालंकार– अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार– उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थान्तरन्यास।

दशरूपक– नाट्य लक्षण, नाट्य भेद, अर्थप्रकृति, अवस्था, सन्धि, नायक का स्वरूप एवं भेद। पारिभाषिक शब्द– नान्दी, प्रस्तावना, सूत्रधार, कंचुकी, प्रवेशक, विष्कम्भक, प्रकाश, आकाशभाषित, जनान्तिक, अपवारित, स्वगत, भरतवाक्य।

ध्वन्यालोक (प्रथम उद्योत) – ध्वनि का स्वरूप।

लौकिक साहित्य

रामायण एवं महाभारतः काल निर्धारण, उपजीव्यता, महत्व।
प्रमुख काव्य– किरातार्जुनीयम (प्रथम सर्ग), शिशुपालवध (प्रथम सर्ग), नैषधीयचरित (प्रथम सर्ग), रघुवंशम् (द्वितीय सर्ग), कुमार सम्भव (प्रथम सर्ग)।
प्रमुख खण्ड काव्य– मेघदूतम्, नीतिशतक।
प्रमुख गद्य काव्य– कादम्बरी (कथामुख), शिवराजविजयम्(प्रथम निःश्वास)।
कथा साहित्य– पंचतंत्र, हितोपदेशः।
नाटक– अभिज्ञानशाकुन्तलम् (1–4 अंक), उत्तररामचरितम् (1–3 अंक), मृच्छकटिकम् (प्रथम अंक), रत्नावली, प्रतिमा नाटकम्
चम्पू काव्य– नलचम्पू (आर्यावर्त वर्णन)।
महाकाव्य, खण्डकाव्य, गद्यकाव्य, चम्पू काव्य एवं नाट्य–काव्य की उत्पत्ति एवं विकास।

अर्थशास्त्र

1. सूक्ष्म अर्थशास्त्रः उपभोक्ता व्यवहार सिद्धान्त एवं माँग विश्लेषण– गणनावाचक एवं क्रम वाचक अवधारणायें, तटस्थता वक्र तकनीक, उत्पादन का सिद्धान्त, प्रतिफल पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन फलन, लागत एवं आगम वक्र, विभिन्न बाजार दशाओं में फर्म का सन्तुलन–पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारिक प्रतियोगिता।
2. व्यापक अर्थशास्त्रः राष्ट्रीय आय– अवधारणा, घटक और लेखाँकन विधियाँ, रोजगार और आय के प्रतिष्ठित एवं कीन्स के सिद्धान्त, उपभोग एवं निवेश फलन, मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के तरीके, व्यापार चक्र के सिद्धान्त।
3. मुद्रा और बैंकिंगः मुद्रा की अवधारणा एवं कार्य, मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्व, मुद्रा का परिणाम सिद्धान्त– फिशर और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण, केन्द्रीय एवं व्यापारिक बैंक के कार्य–साखसृजन, केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के तरीके।
4. सार्वजनिक वित्तः आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका, करारोपण– प्रत्यक्ष एवं परोक्षकर, घाटे की अवधारणा और भारत की संघीय सरकार का बजट, सार्वजनिक व्यय–प्रभाव एवं मूल्यांकन, सार्वजनिक ऋण, वित्त आयोग, राजकोषीय नीति।
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमयः व्यापार सन्तुलन एवं भुगतान सन्तुलन, विदेशी विनियम दर–क्रय शक्ति समता एवं भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें– आई0एम0एफ0, आई0बी0आर0डी0, आई0डी0ए0, एशियाई विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन आदि।
6. भारतीय अर्थव्यवस्थाः भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएँ, नियोजन– उद्देश्य, दृष्टिकोण, प्राथमिकताएँ एवं संसाधन गतिशीलता की समस्याएँ, भारत में जनसंख्या, गरीबी एवं बेरोजगारी सम्बन्धित नीतियाँ, कृषि नीति– खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अवस्थापना विकास सम्बन्धी मुद्दे तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का मूल्यांकन, औद्योगिक नीति– औद्योगिक सुधार एवं औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं लघु पैमाने के उपक्रम।
7. प्रारम्भिक साँख्यिकीः साँख्यिकी का अर्थ एवं महत्व, समंक संग्रहण, विश्लेषण एवं प्रदर्शन, केन्द्रीय प्रवृति की माप, अपकिरण की माप, सहसम्बन्ध, निदर्शन के तरीके, सूचकांक एवं समय श्रृंखला विश्लेषण।

नागरिकशास्त्र (खण्ड–अ)

– राजनीति शास्त्र– अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र।
– राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक दर्शन, राजनीति सिद्धान्त में अन्तर।
– राजनीति शास्त्र का विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान एवं नीतिशास्त्र से सम्बन्ध।
– नागरिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र।
– नागरिकता का अर्थ– अर्जन एवं खोने की विधियाँ, आदर्श नागरिक के लक्षण, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधायें, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति नागरिक दायित्व।
– राज्य की अवधारणा, तत्व एवं उद्भव के सिद्धान्त– सामाजिक समझौता, विकासवादी एवं मार्क्सवादी।
– राज्य के कार्यों के सिद्धान्त– उदारवादी, समाजवादी एवं लोक कल्याकारी सिद्धान्त।
– सम्प्रभुता– शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव।
– कानून, स्वतंत्रता, समानता, न्याय।
– संविधान का अर्थ, प्रकार एवं वर्गीकरण।
– सरकार की अवधारणा– आधुनिक शासन प्रणालियाँ–संघात्मक एवं एकात्मक, संसदीय एवं अध्यक्षात्मक।
– सरकार के अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका– संगठन, कार्य, महत्व तथा इनके पारस्परिक सम्बन्ध।
– लोकतंत्र की अवधारणा– अर्थ, प्रकार एवं सिद्धान्त।
– दलीय प्रणाली, दबाव समूह एवं सिद्धान्त।
– निर्वाचन प्रणालियाँ एवं मताधिकार।
– राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीयता, अन्तर्राष्ट्रीयता एवं गुटनिरपेक्षता।
– राजनीति व्यवस्था के विघटनकारी तत्व– जाति, भाषा, साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रवाद।
– राजनीति विज्ञान में अभिनव प्रवृत्तियाँ– उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण, स्वातंत्रयवाद, समतावाद, गवर्नेन्स की अवधारणा, राज्य–बाजार, बहस, पंचायतीराज और नव सामाजिक आन्दोलन
– भारतीय राजनीतिक चिन्तक– मनु, कौटिल्य, महात्मा गाँधी, अम्बेडकर।

(खण्ड–ब)

– भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास एवं संविधान निर्मात्री सभा
– भारतीय संविधान–प्रस्तावना, प्रमुख विशेषतायें, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया एवं प्रमुख संविधान संशोधन, धारा 370।
– भारतीय संघीय व्यवस्था एवं केन्द्र–राज्य सम्बन्ध।
– संघीय सरकार का गठन एवं उसकी कार्यविधि संघीय कार्यपालिका– राष्ट्रपति–निर्वाचन, कार्य एवं शक्तियाँ, आपात उपबन्ध। उपराष्ट्रपति– निर्वाचन एवं कार्य।
– संघीय मन्त्रिपरिषद– नियुक्ति तथा कार्यविधि। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति, कार्य एवं महत्व।
– संघीय व्यवस्थापिका–
संसद– राज्य सभा एवं लोक सभा का संगठन, शक्तियाँ एवं अधिकार तथा पारस्परिक सम्बन्ध।
– संघीय न्यायपालिका
सर्वोच्च न्यायालय– गठन एवं शक्तियाँ।
न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिकायें।
– राज्य सरकार का गठन एवं कार्यविधि (उ0प्र0 के विशेष सन्दर्भ में)
राज्य की कार्यपालिकाः राज्यपाल–नियुक्ति, शक्तियाँ, विशेषाधिकार एवं भूमिका।
मन्त्रिपरिषद– गठन एवं कार्य
मुख्यमन्त्री– नियुक्ति, शक्तियाँ, राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद से सम्बन्ध।
– राज्य की व्यवस्थापिका
विधानमण्डल– गठन, कार्य एवं शक्तियाँ। विधान सभा एवं विधान परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध।
– राज्य की न्यायपालिका– उच्च न्यायालय एवं क्षेत्राधिकार।
– स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वशासन जिलाधिकारी के कार्य एवं शक्तियाँ। जिला न्यायालय– गठन एवं कार्य। लोक अदालत। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विशेष सन्दर्भ में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा एवं स्वरूप।
– भारत में सार्वजनिक अभिकरण एवं आयोग। योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अन्तरराज्य परिषद,
– लोकपाल एवं लोक आयुक्त।
– भारत की विदेशनीति, क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवाधिकार एवं गुटनिरपेक्ष आन्दोलन।

भूगोल

अर्थ एवं विषय–क्षेत्र, अध्ययन उपागम एवं प्रविधि, प्रमुख भौगोलिक विचारधारायें–नियतिवाद, सम्भववाद, सम्भाव्यवाद, प्रदेशवाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद एवं व्यवहारवाद।

वायुमंडल– संरचना, सूर्यातप एवं ताप बजट, तापमान का क्षैतिज एवं लम्बवत वितरण, तापमान विलोमता। वायु–दाब पेटियाँ एवं स्थानीय पवनें, वायुदाब पेटियों का खिसकाव एवं उनका प्रभाव। आर्द्रता, वर्षा एवं वर्षण के प्रकाश चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। विश्व जलवायु का वर्गीकरण–कोपेन एवं थार्नथ्वेट द्वारा, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान एवं उनके प्रकार, भूविवर्तनिक सिद्धान्त। ज्वालामुखी एवं भूकम्प। वलन एवं भ्रंशन– उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। डेविस का अपरदन चक्र सिद्धान्त। नदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्र एवं स्थलाकृतियाँ।

महासागरीय निक्षेप, महासागरीय नितल। महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता। महासागरीय धारायें, ज्वार–भाटा एवं तरंगें। प्रवाल द्वीप एवं प्रवाल भित्तियाँ– उत्पत्ति, वितरण एवं पर्यावरणीय महत्व।

पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के प्रकार एवं विवरण। निर्वनीकरण–समस्या एवं

समाधान, आपदायें– प्रकार एवं प्रबन्धन।
मानव पर्यावरण अर्न्तसम्बन्ध, प्रौद्योगिकी का प्रभाव–कृषि क्रान्ति, औद्योगिक एवं सूचना क्रान्ति। जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण प्रतिरूप। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धान्त। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास।
संसाधन संकल्पना एवं संसाधनों का वर्गीकरण, जल, मिट्‌टी, खनिज एवं ऊर्जा– उपयोग, समस्यायें एवं संरक्षण, संसाधन संरक्षण के सिद्धान्त, विश्व की प्रमुख फसलें– चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, चाय, कहवा, रबर की भौगोलिक परिस्थितियाँ, विश्व वितरण, उत्पादन एवं व्यापार। कृषि के प्रकार एवं कृषि–प्रदेश। औद्योगिक स्थानीकरण के कारण, औद्योगिक अवस्थिति के प्रमुख सिद्धान्त, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रमुख व्यापारिक प्रखण्ड, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग एवं बन्दरगाह।
सांस्कृतिक तत्व, विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल, प्रजातियाँ एवं जन–जातियाँ।
प्रदेश की संकल्पना एवं प्रकार, विकसित एवं विकासशील देशों की विशेषतायें। विश्व के प्रमुख प्रदेशों का अध्ययन– आँग्ल, अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, रूस, चीन, जापान, दक्षिणी–पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी–पश्चिमी एशिया।
भारत का प्राकृतिक स्वरूप– उच्चावच, अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्‌टी। प्रमुख खनिज संसाधन, लौह अयस्क, अभ्रक, बाक्साइट, आण्विक खनिज एवं ऊर्जा संसाधन।
प्रमुख कृषि उत्पादन– खाद्यान्न एवं मुद्रा दायिनी फसलें, कृषि की अद्यतन प्रवृत्तियाँ, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनायें। औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक नीति। प्रमुख उद्योग– लौह इस्पात, वस्त्र, सीमेन्ट, चीनी एवं कागज उद्योगों की अवस्थापना, वितरण, उत्पादन एवं समस्यायें। जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण का प्रादेशिक स्वरूप, तत्सम्बन्धी समस्यायें एवं समाधान। प्रादेशिक विकास विषमता– कारण एवं निदान। राज्यों का पुनर्गठन–समस्यायें एवं निदान।

इतिहास

भौगोलिक विशेषताएँ

प्राचीन इतिहास के साधन पुरातत्व, साहित्य एवं विदेशी विवरण।
इकाई–1
(क) पुरैतिहासिक– प्राचीन मानव और उसके उपकरण–पाषाणिक, ताम्र–पाषाणिक, कांस्य एवं लौह।
(ख) प्राक्–इतिहास– नदी घाटी सभ्यता– हड़प्पा नगर की सभ्यता–नगर योजना, आवासीय भवन, स्वास्थ्य (नाली) व्यवस्था, विशाल स्नानागार, अन्न भण्डार, घरेलू सामग्री, साज–सज्जा और वेशभूषा, वाणिज्य– व्यापार, मुहरें, बन्दरगाह, आस्था एवं धर्म–पशु पूजा, वृक्ष पूजा, शक्ति एवं शिव कांसे की नर्तकी, कला और कला–कृतियाँ, शव–विसर्जन विधि, मुख्य स्थल, पतन के कारण।
(ग) वैदिक संस्कृति जानने के साधन– वैदिक संहितायें, ब्राह्मण–ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र, वेदांग।
प्रारम्भिक वैदिक संस्कृति– सामाजिक व्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था, राजा रत्निन, विवाह, पेशा, देव एवं देवियाँ।
उत्तर वैदिक संस्कृति– जाति व्यवस्था का उदय, पेशा, राजा, सभा, समिति, विश, यज्ञकर्म, पुरोहित, आर्थिक व्यवस्था पणि, निष्क, कृषि एवं उद्योग।
इकाई–2
मुख्य धार्मिक आन्दोलन– जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म।
इकाई–3
राजनीतिक इतिहास 600 ई0पू0 से 1200 ई0 तक षोडश महाजनपद, गणराज्य, मगध का उत्कर्ष एवं साम्राज्य की स्थापना, नन्दवंश, मौर्यवंश एवं गुप्त वंश। मौर्य वंश– चन्द्रगुप्त मौर्य एवं अशोक, गुप्त वंश चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगुप्त काल तक, मगध–साम्राज्य के पतन का कारण, विदेशी आक्रमण, पारसीक, मकदुनिया के सिकन्दर, हिन्द–यवन, शक–पहलव, कुषाण, हूण।
उत्तरी भारत 500 ई0 से 650 ई0 तक उत्तर–गुप्त मौखरी वंश, हर्षवर्द्धन।
प्रमुख स्थानीय शक्तियाँ (राजपूत युग 700 ई0 से 1200 ई0, शुंग–कण्व, आन्ध्र सातवाहन, मौखरी– पुष्यभूति, गुर्जर–प्रतिहार, चन्देल, परमार, चालुक्य, वादामी के चालुक्य, वैगी के चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, पहदकल के चालुक्य, चोल।
इकाई–4
प्राचीन भारत में आर्थिक इतिहास, कृषि, व्यापार–वाणिज्य, उद्योग धन्धे श्रेणी व्यवस्था, नानादेशी, सिक्का प्रणाली।
इकाई–5
प्राचीन समाज– वर्ण–जाति, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, शिक्षा।
इकाई–6
कला एवं वास्तुकला– मन्दिर, स्तूप, मूर्तिकला, चित्रकला, अन्य कलायें–हस्तकला, पात्रकला–काष्ठकला, लेखन कला (अभिलेख लिपि), स्तम्भ, चट्‌टान, भित्ति।
मुहम्मद गोरी का आक्रमण दासवंश– खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, बाबर मुगल साम्राज्य निर्माता के रूप में, हुमायूँ तथा शेरशाह सूरी। मुगल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगजेब तक, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगलों की शासन व्यवस्था और आर्थिक नीति, बहमनी और विजय नगर का प्रशासन, शिवाजी और मराठों का उत्कर्ष तथा पतन।
शासन व्यवस्था– दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था, मुगलों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ, मुगल कालीन संस्कृति, प्रान्तीय शासन, शेरशाह सूरी की शासन–व्यवस्था। भूमिकर व्यवस्था शेरशाह सूरी और अकबर की भूमिकर व्यवस्था।
मुगलों की धार्मिक नीति, बाबर की धार्मिक नीति, हुमायूँ और अकबर की धार्मिक नीति, दीने इलाही, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगलों की दक्षिणी नीति, बाबर से औरंगजेब तक।
मुगल सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा, स्त्री शिक्षा–साहित्य, कला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला।
सैनिक व्यवस्था अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जात, सवार और मराठों की सैन्य व्यवस्था।
मुगल कालीन समाज सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग–धन्धे।
17वीं, 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों का आगमन। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी।
बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय– प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तथा उसका महत्व।
क्लाइव की दूसरी सूबेदारी (1765–67) बंगाल व्यवस्था– दोहरी प्रणाली के गुण और दोष।
वारेन हेस्टिंग्स– (1772–85) प्रशासनिक सुधार, भूमिकर सुधार, न्यायिक सुधार।
कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार (1786–93)– कर सम्बन्धी सुधार, बंगाल की स्थायी भू–कर व्यवस्था।
लार्ड वेलेजली– (1798–1805)– सहायक संधि प्रणाली।
मैसूर का उत्थान– हैदर अली तथा टीपू सुल्तान
प्रथम आंग्ल–मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल–मैसूर युद्ध
तृतीय आंग्ल–मैसूर युद्ध
चतुर्थ आंग्ल–मैसूर युद्ध
लार्ड हेस्टिंग्स और भारत में सर्वश्रेष्ठता का स्थापित होना। आंग्ल–नेपाल युद्ध, पिण्डारी युद्ध, हेस्टिंग्स की मराठा नीति।
विलियम बैंटिंग–(1828–35)– सती प्रथा को बन्द करना, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति।
रणजीत सिंह का जीवन और उपलब्धियाँ:– प्रारम्भिक जीवन, प्रशासन, भू–कर तथा सैनिक प्रशासन।
लार्ड डलहौजी– (1848–56)– व्यपगत का सिद्धान्त, अवध का विलय, लार्ड डलहौजी के सुधार।
1857 का विद्रोह– विद्रोह के कारण।
भू–राजस्व व्यवस्था– स्थायी जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी पद्धति, रैवतवाड़ी पद्धति
लार्ड कर्जन– (1899–1905)– बंगाल का विभाजन।
सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार, बह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, राम कृष्ण आन्दोलन, थियोसोफिकल आन्दोलन, मुस्लिम सुधार आन्दोलन, वहाबी आन्दोलन, अलीगढ़ आन्दोलन।
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उत्थान और विकास उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन, उग्रवाद के उदय के कारण, होमरूल आन्दोलन, क्रान्तिकारी आतंकवादी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी जी का मूल्यांकन।
भारत के अग्रगण्य राष्ट्रीय नेता– राम मोहन राय उनके कार्य का मूल्यांकन और विचार, दादा भाई नौरोजी 1825–1917, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू।
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का उदय– सर सैयद अहमद खाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना, दो राष्ट्र का सिद्धान्त, हिन्दू महासभा, माउन्ट बैटन योजना, भारत विभाजन।
संविधान–
1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट
1784 का पिट्स का इण्डिया एक्ट
1833 का चार्टर एक्ट
1909 का एक्ट
1919 का एक्ट
1935 का एक्ट
स्वतंत्रता का प्रथम चरण– भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, रियासतों का एकीकरण और विलय, महात्मा गांधी की हत्या।
पंचवर्षीय योजनायें– पड़ोसी देशों से सम्बन्ध। पाकिस्तान, चीन, चीनी आक्रमण 1962 एवं बंगला देश।

समाज शास्त्र

खण्ड–1

मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणायें

समाज शास्त्रः– अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र
समाजः– अवधारणा एवं विशेषताएं
अन्य सम्बन्धित अवधारणायेंः– संस्था, समुदाय, समिति, संस्थायें, सामाजिक समूह, प्रस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं सभ्यता।
खण्ड–2
सामाजिक प्रक्रियायें
सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, परसंस्कृतिग्रहण, समाजीकरण, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण।
खण्ड–3
प्रारम्भिक एवं समकालीन सामाजिक विचारक
पश्चिमी विचारकः– आगस्त कोम्ट, कार्लमार्क्स, हरवर्टस्पेन्सर, इमाई लदुर्खीम, मैक्स वेबर
भारतीय विचारकः– राधाकमल मुखर्जी, एम0एन0 श्रीनिवास, जी0एस0 धूरिये,
खण्ड–4
समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त
प्रघटनाशास्त्र एवं लोक विधि–विज्ञान, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, संघर्ष–सिद्धान्त, विनियम सिद्धान्त एवं प्रतीकात्मक अन्तःक्रियावाद।
खण्ड–5
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण
सामाजिक परिवर्तनः– अवधारणा, कारक एवं सिद्धान्त
सामाजिक नियंत्रणः– अवधारणा, साधन एवं अभिकरण
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएंः– औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं भूमण्डलीकरण
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण में संचार साधनों की भूमिका।
खण्ड–6
भारतीय समाज एवं संस्कृति
जाति, वर्ग, विवाह एवं परिवार।
संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, वृहतपरम्परा एवं लघु परम्परा, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण।
खण्ड–7
भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्थाएँ
जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, नातेदारी, पंचायतीराज व्यवस्था,
खण्ड–8
समकालीन भारतीय सामाजिक समस्यायें
निर्धनता, बेकारी, लिंग असमानता, भ्रष्टाचार, कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार– महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की समस्यायें।
खण्ड–9
सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ
सामाजिक अनुसंधानः– अर्थ तथा सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण,
शोध प्रारूप– अर्थ एवं प्रकार,
समंक संकलन की पद्धतियाँ एवं तकनीकियाँ
सांख्यिकीय विश्लेषण– केन्द्रीय प्रवृत्ति के मापः– माध्य, माध्यिका, बहुलक,
मानक विचलन एवं सह सम्बन्ध।

उर्दू

भाग–1

1. उर्दू जबान व अदब का आगाज व इरतिका दकन में (बहमनी दौर, आदिल शाही और कुतुबशाही दौर) शुमाली हिन्द में (उर्दू नज्म न नस्र का इब्तदाई जमाना, बुकेट कहानी कर्बल कथा,) 2. उर्दू हिन्दी का बाहमी रिश्ता 3. लखनऊ और देहली के दबिस्तोन शायरी का मोताला–(इस्तेमोल जबान के खुसुसियात और इमतियाजात) 4. उर्दू अदब की तहरीकें और रूजहानात (अलीगतहरीक, तरक्की पसन्द तहरीक, हलकें अरबाबे जौक, जदीदियत) 5. उर्दू नस्र और फोर्ट विलियम कालेज और दिल्ली कालेज–(मीर अम्मन, हैदर बख्श हैदरी, लल्लूलाल, जकाउल्ला, मास्टर रामचन्द्र)

भाग–2

6. उर्दू असनाफे नस्र–(दास्तान–फसाने अजायब, बाग व बहार) नावेल–उमाराव जोन अदा, तौबतुन्नसूह, फसाने आजाद, आखिर शब के हमसफर अफसाना–प्रेमचन्द्र (कफन, रोशनी, बड़े घर की बेटी) मन्टू (टौबा टेग सिंह) इस्मत चुगताई (चौथी का जोड़ा) राजेन्द्र बेदी– (गरम कोट, लाजवन्ती) कृष्ण चन्दर– (पूरेचाँद कीरात, दादर पुल के बच्चे) हयातुल्ला अंसारी– (आखिरी कोशिश) नावेलेट– सज्जादजहीर (लन्दन की एक रात), काजी अब्दुस्सत्तार (रज्जोबाजी) इन्शाइया/तन्जवोमजाह– पितरस बोखारी (सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, सनीमें का इश्क) रशीद अहमद सिद्दीकी– (चारपाई, अरहर का खेत) मुश्ताक अहमद युसुफी– (चारपाई और कल्चर) फरहतुल्लाह बेग– (एक वसियत की तालीम में) कनैहया लाल कपूर (गालिब जदीद शोवरा की मजलिस में, बेतकल्लुफी) शौकत थानवी– (स्वदेशी रेल) मजामीन और खाका– मो0 हुसैन आजाद– शोहरेत आम और बकाए दवाम का दरबार) मोलवी अब्दुल हक– (नामदेवमाली, अदब उर्दू और चकबस्त) मेहदी अफादी– (उर्दू नस्र के अनासिरे खमसा) अब्दुलहलीम शरर–(मशरिकी तमदुन का आखिरी नमूना) फरहतुल्लाह बेग– (दिल्ली का एक यादगार मुशायरा) रशीद अहमद सिद्दीकी– (जिगर साहब) खूतूत– गालिब– (उर्दूए मोवल्ला) अब्दुलकलाम आजाद (चिड़िया चिड़े की कहानी– शुरू डेचा के पाँच–पाँच खूतूत) सफरनामा– युसुफ खाँ कम्बल पोश (अजाएबाते फरहँग) सैय्यद एहतेशाम हुसैन (साहिल और समन्दर) सवानेह– हाली (हयाते साअदी, यादगारे गालिब–) इसमत चुनवाई (कागजी पैरहन) 7. उर्दू तहकीक व तनकीद आजाद, हाली, शिबली, इमदाद इमाम असर, हाफिज महमूद शेरवानी, मोलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, इमातियाज अली अर्शी, मसूद हसन रिजवी, एहतेशाम हुसैन, आल अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मसीहुज्जमाँ, शमशुर्रहमान फारूकी, गोपीचन्द नांरग, रशीद हसन खाँ, हनीफ नकवी 8. उर्दू सहाफत का आगाज व इरतिका–मोलवी मोहम्मद बाकर– (देहली उर्दू अखबार) मुंशी सज्जाद हुसैन (अवधपंच) जफर अली खाँ (जमीदार) अबुल कलाम आजाद (अलहिलाल) हसरतमोहानी (उर्दू ए मोवल्ला) अब्दुल माजिद दरियाबादी (सिदके जदीद) जो अन्सारी (इकलाब) हयातुल्ला अंसारी (कौमी आवाज) 9. उर्दू ड्रामा आगाज व इरतिका– अमानत लखनवी (इन्द्र सफा) आगा हश्र काश्मीरी (सिलवर किंग) इमतियाज अली ताज (अनारकली) एजाज हुसैन (सैयदहंशा) हबीब तनवीर (आगरा बाजार)

भाग–3

10. उर्दू असनाफे शायरी– उर्दू शायरी का इरतिका, असनाफे नज्म– गजल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, रूबाई कताअ, जदीद नज्म, शहरे आशोब, वासोख्त, मो0 कुली कुतुब शाह, वली, इन्शा, मोसहफी, आतिश नासिख यगाना गजल गो शोवरा– सौदा, दर्द, मीर जौक, गालिब, आरजू, रियाज खैराबादी फानी, हसरत, जिगर, असगर, मोमिन फिराक गोरखपुरी नासिर काजमी, जज्बी, मजाज, नूशूर वाहिदी कसीदा नेगार– मोहसिन काकोरी (सम्त काशी से चला ....) जौक देहलवी, मिर्जा गालिब, अमीरमीनाई, सौदा– (उठ गया बहमन) मुनीर शिकोहाबादी पर तहनियत जेहनशित ....(दहरेजुज......) तजहीके रोजगार) मरसिया नेगार– मीर अनीस, मिर्जादबीर, चकबस्त (मरसिया गोखले) जोश (आवाजे हक) सफी लखनवी (मरसिया हाली) मजाज (वतन का लाले दरख्शाँ चला गया) कता गो शोवरा– अकबर

इलाहाबादी (मशरिक का मगरिब, खतमेबहार) नई रोशनी, कशमकश हाली– असराफ व बुख्ल शिबली– गरबानवाजी इकबाल– मस्तिये किरदार, नसीहत, मुल्ला और बहिश्त जोश– इन्तेजार, माजरत अख्तर अंसारी– फितरत, ताज रुबाई गो शोवरा– हाली, अकबर, जोश, फिराक, मीर अनीस, खाँ प्यारे मियाँ साहब रशीद, अजमद हैदराबादी नज्म नेगार शोवरा– हाली– (इकबाल मन्दी की अलामत) नजीर अकबराबादी– (मेले की गिलहरी सैर आदमी वामा, रोटियाँ गिलहरी) अकबर इलाहाबादी– (रंगे जमाना, लबे साहिल और मौज, एक फर्जी लतीफा, जल बैदर बार देहली, मुस्तक बिल) इकबाल– (सैरे फलक) शोवाए उम्मीद, हकीफेत हुस्न, खिजराह, तुलुए इस्लाम सफी लखनवी– (बहार) मीरा जी– (कलर्क का नुसखे मुहब्बत) मजाज – (आवारा) अखतरूल इमीन (एक लड़का) वहीद अख्तर – कुर्सी नामा नूजीम राशिद– (सबबीरों) सीमाब अकबराबादी– (ताज शबे तारीक में) जोश – अलबेली सुबह, आवाज की सीढ़ियाँ, किसान एसान दानिश– वादिऐं कश्मीर की एक सुबह फैज अहमद फेज– रकीब से जिन्दा की एक शाम चकबस्त– आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा, रामायण का एक सीन अफसर मरेठी– तुलुवे खुर्शीद– ए–नव अख्तर शिरानी– नगम–ए–जिन्दगी सुरूर जहाँनाबादी बैर बहुटी मसनवी– मीर हसन (सहरूल बयान), दयाशंकर नसीम (गुलजारे नसीम) मिर्जा शौक लखनवी (जहरे इश्क) इकबाल साकीनामा, अली सरदार जाफरी – (साजे हयात) हफीज जालंधरी (सेहरा की दोआ)

भाग–4

उर्दू कवायद (अ) इस्म, जमीर, फेल सिफत, हर्फ और उसकी किस्में (ब) इस्ताआरा, तशवीह, मनाज मुरसल और कनाइया (स) सनाए व बदाए– लफ व नस्र (मोरत्तिब व गौर मुरत्तिब) तलमीह, हुस्न–ए–तलील तजमीस (नाम और नाकिस व लाइव), सवाल व जवाब, तनसीकुस्सिफात, तरसीअ सयाकतुअदाद, तजाद, इहाम, मराअतुन्नजीर, मोबलगा, हुस्ने कलाम और बलागत इस्तेआरा

परिशिष्ट–4

प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कालेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय

परीक्षा योजना

प्रथम चरण–प्रारम्भिक परीक्षा

प्रश्नपत्र की संख्या	–	(01) एक
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	वस्तुनिष्ठ प्रकारक
प्रश्नों की संख्या	–	120 (सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न तथा वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न)
प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	–	2.5 (ढाई अंक)
निर्धारित कुल अंक	–	300 (तीन सौ)
समयावधि	–	02:00 (दो) घण्टा

नोटः– सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 के अनुसार तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भाँति होगा।

द्वितीय चरण मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत)

प्रश्नपत्रों की संख्या	–	03 (तीन)
प्रथम प्रश्नपत्र	–	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध
निर्धारित कुल अंक	–	100 (सौ)– (सामान्य हिन्दी–50, निबन्ध–50)
समयावधि	–	02:00 (दो) घंटा
द्वितीय प्रश्नपत्र	–	वैकल्पिक विषय
समयावधि	–	03:00 (तीन) घंटा
निर्धारित कुल अंक	–	300 (तीन सौ)

संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों (परम्परागत) के प्रश्नपत्र की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है:–

1– प्रश्नों की कुल संख्या 20 (बीस) होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न खण्डवार निम्नवत होंगेः–

खण्ड 'अ' के अन्तर्गत 05 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 250) एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा।

खण्ड 'ब' के अन्तर्गत 05 प्रश्न लघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 150) एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

खण्ड 'स' के अन्तर्गत 10 प्रश्न अतिलघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।

नोटः– प्रथम प्रश्नपत्र एवं द्वितीय प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–3** के अनुसार होगा।

तृतीय प्रश्नपत्र	–	विशिष्ट अर्हता– ब्रेल लिपि (पद्धति)/ सांकेतिक भाषा।
समयावधि	–	02 (दो) घंटा
पूर्णांक	–	100 (सौ) अंक

तृतीय प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम

विषय–विशिष्ट शिक्षा–ब्रेल लिपि

इकाई–1

• ब्रेल 6 डॉट्स पद्धति का ज्ञान।
• ब्रेल की सप्त पंक्तिक पद्धति का विश्लेषण करने की क्षमता ।

इकाई–2

• हिन्दी और अंग्रेजी ब्रेल वर्णमाला का ज्ञान।
• **विराम चिन्हः** कैपिटल साइन इंडिकेटर, इटैलिक्स साइन इंडिकेटर, कॉमा, फुल स्टाप, सेमी कोलन, कोलन, ब्रैकेट, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाइफन, डैश, दीर्घवृत्त, प्रश्न वाचक चिन्ह।
• अंग्रेजी ब्रेल ग्रेड–II का ज्ञान (संकुचन, लघु रूप और संक्षिप्तीकरण) ।

इकाई–3

• **ब्रेल लिपि को लिखने के लिए उपकरणों का ज्ञानः** ब्रेल स्लेट, स्टाइलस, पॉकेट फ्रेम, ब्रेलर और पर्किन्स स्टाइल की–बोर्ड।
• **कागज रहित ब्रेलः** ब्रेल एम्बॉसर और डुप्लिकेटर, ब्रेल रूपांतरण सॉफ्टवेयर जैसे– डक्सबरी ब्रेल ट्रांसलेशन (डी.बी.टी.). ब्रेल नोट टेकर और रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले ।

इकाई–4

• **कम्प्यूटर ब्रेल का ज्ञानः** कम्प्यूटर ब्रेल संकेतक, ब्रेल में ई–मेल आईडी लिखना, ब्रेल में वेब पता/यू.आर.एल.।
• **ब्रेल में विज्ञान प्रतीकों का ज्ञानः** सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, रेडिकल्स, ग्रीक अक्षर और लघुगणक, संदर्भ संकेत, निषेध संकेत, डिग्री, अनंत, अंग्रेजी अक्षर, मिश्रित आकार संकेत, स्थानिक व्यवस्था।

इकाई–5

• गणितीय ब्रेल (अंकगणित और बीजगणित) का ज्ञान।
• अंक।
• संख्यात्मक सूचक, गणितीय अल्पविराम, गणितीय दशमलव बिन्दु, विराम चिन्ह सूचक ।
• गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह (जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग)।
• कोष्ठक (छोटा, मंझला, बड़ा)।
• भिन्नः सरल भिन्न एवं मिश्र भिन्न।
• माप।
• रोमन अंक।
• सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ।
• आकृति चिन्ह–मूल आकृति (कोण, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, बहुभुज)।
• विविधः (एट द रेट चिन्ह, चेक मार्क, डिट्टो मार्क, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, चूंकि, इसलिए)।

विषय–विशिष्ट शिक्षा–सांकेतिक भाषा

इकाई–1

• **भारतीय सांकेतिक भाषा का इतिहासः** उत्पत्ति, विकास और अन्य बोली जाने वाली भाषाओं का भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ संबंध ।
• भारतीय सांकेतिक भाषा की विधायी स्थिति।
• विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का परिचय ।
• बधिर संस्कृति और भाषाई पहचान के पहलू।

इकाई–2

• संचार के तरीके।
• संचार की विधियाँः मौखिकवाद, संपूर्ण संचार और शैक्षिक द्विभाषीवाद ।
• संचार की चुनौतियाँ।

इकाई–3

भारतीय सांकेतिक भाषा की संरचना और व्याकरण

• भारतीय सांकेतिक भाषा के नियमबद्ध और अनियमित घटक ।
• शब्द–स्तरीय संरचनाएँ।
• वाक्य के प्रकार।
• संकेतों का अर्थ।

इकाई–4

भारतीय सांकेतिक भाषा में अभिव्यक्तियाँ

• अभिवादन शब्द
• वर्णमाला एवं संख्याएँ
• महीनों के नाम
• रंगों के नाम
• प्रश्न
• फलों के नाम
• भोजन
• सब्जियों के नाम
• स्टेशनरी
• परिवहन के साधन
• दैनिक दिनचर्या गतिविधियाँ

इकाई–5

भारतीय सांकेतिक भाषा व्याकरण और उपयोग

• भारतीय सांकेतिक भाषा सामग्री की खोज के लिए भाषा संसाधनों का उपयोग।
• भारतीय सांकेतिक भाषा व्याकरण और उपयोग।
• वाक्य के प्रकारः सरल कथन, प्रश्न, नकारात्मक ।
• लोगों और वस्तुओं का वर्णन करना (विशेषण और विलोम)।
• सर्वनाम और रिश्तेदारी शब्द ।
• समय, संख्या और माप की अभिव्यक्ति ।
• क्रियाएँ और संकेत स्थान का उपयोग ।
• उपलब्धता (होना और न होना)।

परिशिष्ट–5

प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा

परीक्षा–योजना

प्रथम चरण–प्रारम्भिक परीक्षा

प्रश्नपत्र की संख्या	–	(01) एक
प्रश्नपत्र का प्रकार	–	वस्तुनिष्ठ प्रकारक
प्रश्नों की संख्या	–	120 (सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न तथा वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न)
प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक	–	2.5 (ढाई अंक)
निर्धारित कुल अंक	–	300 (तीन सौ)
समयावधि	–	02:00 (दो) घण्टा

नोटः– सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–2 के अनुसार तथा वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भाँति होगा।

द्वितीय चरण–मुख्य (लिखित) परीक्षा (परम्परागत)

प्रश्नपत्रों की संख्या	–	02 (दो)
प्रथम प्रश्नपत्र	–	सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध
निर्धारित कुल अंक	–	100 (सौ)– (सामान्य हिन्दी–50, निबन्ध–50)
समयावधि	–	02:00 (दो) घंटा

नोटः– प्रथम प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–3 के अनुसार होगा।

द्वितीय प्रश्नपत्र	–	वैकल्पिक विषय
समयावधि	–	03:00 (तीन) घंटा
निर्धारित कुल अंक	–	300 (तीन सौ)

संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों (परम्परागत) के प्रश्नपत्र की रचना हेतु प्रश्नपत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है:–

1– प्रश्नों की कुल संख्या 20 (बीस) होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा प्रश्न खण्डवार निम्नवत होंगेः–

खण्ड 'अ' के अन्तर्गत 05 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 250) एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा।

खण्ड 'ब' के अन्तर्गत 05 प्रश्न लघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 150) एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा।

खण्ड 'स' के अन्तर्गत 10 प्रश्न अतिलघुउत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा।

प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा – प्रारम्भिक/मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषय का विषयवार पाठ्यक्रम

1. पाठ्यक्रम–मनोविज्ञान प्राध्यापक

1– मनोविज्ञान क्या है? यह निरक्षणीय व्यवहार, संज्ञानात्मक प्रक्रमों, दैहिक घटनाओं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों तथा प्रच्छन्न अथवा अचेतन प्रक्रमों का अध्ययन है।

2– सैद्धान्तिक उपागमः– व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सूचना प्रक्रमण तथा मानवतावादी।

3– व्यवहार के जैविक आधारः तन्त्रिका तन्त्र, प्रमस्तिष्कीय क्रियाएं, अन्तः स्रावीग्रन्थियाँ ।

4– अवधानः– स्वरूप, चयनित एवं सतत अवधानः प्रक्रम, सिद्धान्त एवं प्रभावक कारक।

5– प्रत्यक्षणः संवेदीनिवेश, चयन, ऊर्जा का तन्त्रिकीय आवेग में रूपान्तरण, संगठन तथा व्याख्या। प्रत्यक्षण संगठन एवं इसके नियम। प्रतिमान अभिज्ञान के सिद्धान्त–अधरोर्ध्व एवं उर्ध्वाधर।

6– अभिप्रेरणः स्वरूप एवं सम्प्रत्ययात्मक विचारवस्तु/अभिप्रेरणा के सिद्धान्तः प्रणोद, उदोलन तथा प्रत्याशा। श्रेणीबद्ध आवश्यकताएं, आन्तरिक एवं बाह्य अभिप्रेरणा।

7– संवेगः दैहिक प्राधार, संवेग में दैहिक परिवर्तन, संवेग के सिद्धान्त।

8– अधिगमः प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबन्धन, विलोप, पुर्नबलन प्रकार तथा संज्ञानात्मक तत्व उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सामान्यीकरण। अन्तर्दृष्टिगत अधिगम तथा निरीक्षणात्मक अधिगम।

9– स्मृतिः संवेदी स्मृति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन स्मृति। कूटलेखन, संचय एवं पुनः प्राप्ति ।

सिद्धान्तः– एटकिन्सन एवं शिफरिन, क्रेक एवं लाकहार्ट

शब्दार्थ एवं उपाख्यानात्मक स्मृतियाँ। अवधारण को प्रभावित करने वाले कारक।

स्मृति मापन। विस्मरण के सिद्धान्त।

10–भाषा एवं चिन्तनः वोर्फ तथा चाम्स्की। समस्या समाधान में निहित कारकः– कलन विधि एवं स्वतः शोध ।

11–वैयक्तिक भिन्नताएँः मानसिक योग्यताएँ कारकी उपागम– स्पियरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, वर्नन एवं जेन्सन, पियाजे, गार्डनर मानसिक योग्यता परीक्षण तथा मापनियाँ। सांवेगिक बुद्धि।

12–व्यक्तित्वः प्रारूप एवं शीलगुणः– आलपोर्ट, कैटेल, गिलफोर्ड, आइजेन्क, मरे एवं फ्रायड। व्यक्तित्व मापनः मनोमितीय एवं प्रक्षेपी। पद विश्लेषण, विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक ।

13–सामाजिक मनोविज्ञानः सामाजिक संज्ञान, गुणारोपण, अन्तर्वैयक्तिक आकर्षण नेतृत्व।

14–संगठनात्मक मनोविज्ञानः कर्मचारी चयन, कार्य विश्लेषण, साक्षात्कार, संशक्तिशीलता, संघटनात्मक विकास, संप्रेषण माध्यम, संघटनात्मक परिवर्तन, कर्मचारी संघ एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध, संघटनात्मक दक्षता, संघटनात्मक नागरिकता, सामाजिक श्रमावनयन, सुधारात्मक मनोविज्ञान ।

15–विकासात्मक मनोविज्ञानः विकासात्मक अवस्थाएँ, संज्ञानात्मक, सामाजिक, नैतिक विकास ।

16–प्रयोगात्मक अभिकल्प और सांख्यिकीः समस्या, प्राक्कल्पना, चर एवं उनका नियन्त्रण।
अभिकल्पः समूहों मध्य, एकात्मक समूह, समीकृत समूह, समूहान्तरगत । कारकीयः
अभिकल्पः मुख्य तथा अन्योन्य क्रिया प्रभाव और पुनरावृत्त मान। सांख्यिकीः टी0 टेस्ट, प्रसरण विश्लेषण, कारक विश्लेषण, प्रतिगमन समीकरण। प्राचलरहित सांख्यिकीः काई स्क्वायर, मीडियन टेस्ट, मान व्हीटनी टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट।
17–मानसिक स्वास्थ्य एवं विकारः– विकारों का वर्गीकरण (ICD-ID तथा DSM-IVTR) मनस्ताप, मनोविदलता, मनोविकृत व्यक्तित्व तथा समाज विरोधी व्यक्तित्व। प्रतिबल, निवारण तथा प्रबन्धन सेल्ये तथा लैजारस। शिथलीकरण, बायोफीडबैक तथा शवासन ।
18–नैदानिक मनोविज्ञानः निदान, उपचार तथा शोध निदानः व्यक्ति अध्ययन, साक्षात्कार, परीक्षणः एम0एम0पी0 आई0–2, रोर्शा, टी0ए0टी0। चिकित्सकीय प्रावधानः
मनोविश्लेषण, व्यक्तिकेन्द्रित उपचार, व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा (एलिस तथा बेक) मानवतावादी, गेस्टाल्टवादी तथा व्यपाश्रय विश्लेषण।

2. अपराध विज्ञान एवं दण्डशास्त्र प्राध्यापक

इकाई–1 : अपराधशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति अपराध की अवधारणा, अपराधों का वर्गीकरण, अपराधियों के प्रकार, अपराध की कारणता के सिद्धान्तः शास्त्रीय सिद्धान्त, प्रत्यक्षवादी सिद्धान्त, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त, भौगोलिक सिद्धान्त, आर्थिक सिद्धान्त, समाजशास्त्रीय सिद्धान्तः सामाजिक संरचना से सम्बन्धित सिद्धान्तः दुर्खीम एवं मर्टन, सांस्कृतिक संघर्ष का सिद्धान्त, अपराधी उप संस्कृति का सिद्धान्त, पारिस्थितिकीय सिद्धान्त। अपराधीकरण की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सिद्धान्तः सदरलैण्ड का विभेदक साहचर्य का सिद्धान्त, नामकरण का सिद्धान्त, अपराध का बहुकारिकीय उपागम।

दण्डव्यवस्था

इकाई–2:– दण्ड के औचित्य एवं सिद्धान्त, मृत्युदण्ड के पक्ष एवं विपक्ष तर्क, अंगुलिछाप के सिद्धान्त एवं प्रकार।

कारागार प्रणाली

इकाई–3:– कारागार व्यवस्था, उद्भव एवं विकास, कारागार संगठन, जेल अधीक्षक और सुरक्षा तंत्र की भूमिका, कारागार सुधार कार्यक्रम, प्राचीर विहीन बन्दीगृह, कारागार मे वर्जित क्रियाकलाप।

परिवीक्षा एवं पैरोल व्यवस्था

इकाई–4:– अवधारणा, प्रशासनिक व्यवस्था परिवीक्षा एवं पैरोल अधिकारी, परिवीक्षा के लाभ एवं हानियां, पैरोल के उद्देश्य एवं सफलता, उत्तर संरक्षण कार्यक्रम।

बाल अपराध

इकाई–5:– प्रकृति एवं प्रकार, कारण एवं सिद्धान्त, संवैधानिक उपाय, बालन्यायालय, रिमाण्ड होम्स, सुधारात्मक एवं बोर्स्टल स्कूल, प्रमाणित विद्यालय।

संगठित अपराध

इकाई–6: कार्य प्रणाली, संगठित अपराध के स्वरूप, अपराधिक संगठन के प्रकार
इकाई–7: पेशेवर अपराधी, आदतन अपराधी, सफेदपोश अपराधी, अवधारणा एवं प्रकार, महिला अपराधी, सुधार एवं पुनर्स्थापन, साइबर क्राइम व मादक पदार्थों का दुर्व्यसन ।

अपराधिक न्याय–व्यवस्था

इकाई–8: भारतीय दण्ड संहिता, अपराधिक प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता
इकाई–9 :– उत्पीड़ित व्यक्ति एवं अपराध

पुलिस व्यवस्था

इकाई–10: वर्तमान पुलिस प्रशासन एवं संगठन, पुलिस और अपराधी सम्बन्ध, पुलिस एवं भ्रष्टाचार, पुलिस क्रूरता एवं दुर्व्यवहार, पुलिस एवं सुधार कार्यक्रम।

परिशिष्ट–6

(विषयवार/आरक्षणवार रिक्तियों तथा दिव्यांगजन की चिन्हांकित उपश्रेणियों का विस्तृत विवरण)

प्रवक्ता (पुरुष) राजकीय इण्टर कॉलेज

क्र.सं.	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अना–रक्षित	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	अ. पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू एस.	स्व. सं. से.	दिव्यांगजन	भू. प. सै	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंग्रेजी	100	34	18	02	36	10	02	04 (01-बी., 01-एल.वी., 01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	05	02
2.	अर्थशास्त्र	41	16	08	00	13	04	00	01-बी.	02	00
3.	इतिहास	41	15	09	00	13	04	00	01-बी.	02	00
4.	उर्दू	27	12	05	00	08	02	00	01-बी.	01	00
5.	गणित	94	28	24	01	32	09	01	03 (01-बी., 01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	04	01
6.	भौतिक विज्ञान	86	36	16	01	25	08	01	03 (01-बी., 01-एच.एच., 01–ओ.ए.)	04	01
7.	रसायन विज्ञान	85	33	19	01	24	08	01	03 (01-बी., 01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	04	01
8.	जीव विज्ञान	73	31	13	01	21	07	01	02 (01-बी., 01-एच.एच.)	03	01
9.	भूगोल	38	16	08	01	10	03	00	01-बी.	01	00
10.	संस्कृत	36	16	07	00	10	03	00	01-बी.	01	00
11.	नागरिकशास्त्र	51	19	11	00	16	05	01	02 (01-बी., 01-एच.एच.,	02	01
12.	समाजशास्त्र	23	09	05	00	07	02	00	00	01	00
13.	हिन्दी	82	27	19	01	27	08	01	03 (01-बी., 01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	04	01
	योग	**777**	**292**	**162**	**08**	**242**	**73**	**08**	**25**	**34**	**08**

• दिव्यांगजन की बी., एल.वी., एच.एच., ओ.ए. तथा ओ.एल. चिन्हांकित उपश्रेणियां उपर्युक्त समस्त विषयों के लिए उभयनिष्ठ हैं।

प्रवक्ता (महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज

क्र.सं.	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अना–रक्षित	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	अ. पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू एस.	स्व. सं. से.	दिव्यांगजन	भू. प. सै	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंग्रेजी	84	53	10	03	10	08	01	03 (01-एल.वी., 01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	04	01
2.	अर्थशास्त्र	36	12	09	02	10	03	00	01-एल.वी.	01	00
3.	इतिहास	34	16	07	01	07	03	00	01-बी.	01	00
4.	उर्दू	13	10	01	00	01	01	00	00	00	00
5.	गणित	28	14	05	01	06	02	00	01-एच.एच.	01	00
6.	भौतिक विज्ञान	104	44	20	04	26	10	02	04 (01-बी., 01-एच.एच., 01–ओ.ए., 01–ओ.एल.)	05	02
7.	रसायन विज्ञान	62	26	11	02	17	06	01	02 (01-एच.एच., 01–ओ.ए.)	03	01
8.	जीव विज्ञान	73	45	07	02	12	07	01	02 (01-एच.एच., 01-ओ.ए.)	03	01
9.	भूगोल	26	15	04	00	05	02	00	01-ओ.ए.	01	00
10.	संस्कृत	56	28	10	01	12	05	01	02 (01-एल.वी., 01-ओ.एल.)	02	01
11.	नागरिकशास्त्र	54	21	06	02	20	05	01	02 (01-बी., 01-ओ.एल.)	02	01
12.	समाजशास्त्र	44	20	09	01	10	04	00	01-बी.	02	00
13.	हिन्दी	80	26	21	04	21	08	01	03 (01-बी., 01-एच.एच., 01-ओ.एल.)	04	01
	योग	**694**	**330**	**120**	**23**	**157**	**64**	**08**	**23**	**29**	**08**

• दिव्यांगजन की बी., एल.वी., एच.एच., ओ.ए. तथा ओ.एल. चिन्हांकित उपश्रेणियां उपर्युक्त समस्त विषयों के लिए उभयनिष्ठ हैं।

प्रवक्ता, स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इण्टर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय

क्र.सं.	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अना–रक्षित	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	अ.पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू एस.	स्व. सं. से.	दिव्यांगजन	भू.प. सै	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	हिन्दी	09	04	02	00	03	00	00	00	00	01
2.	अंग्रेजी	05	03	01	00	01	00	00	00	00	01
3.	नागरिकशास्त्र	06	03	01	00	02	00	00	00	00	01
4.	अर्थशास्त्र	06	02	02	00	02	00	00	00	00	01
5.	संस्कृत	10	03	03	00	03	01	00	00	00	02
6.	इतिहास	03	01	01	00	01	00	00	00	00	00
7.	समाजशास्त्र	06	03	01	00	02	00	00	00	00	01
	योग	**45**	**19**	**11**	**00**	**14**	**01**	**00**	**00**	**00**	**07**

• दिव्यांगजन की ओ.एल., बी.एल., एम.डीवाई., ओ.ए., एल.वी., बी.डी., एच.एच., एल.वी., डीडब्ल्यू. तथा ए.ए.वी. चिन्हांकित उपश्रेणियां उपर्युक्त समस्त विषयों के लिए उभयनिष्ठ हैं।

प्राध्यापक, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा

क्र.सं.	विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अना–रक्षित	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	अ.पि. वर्ग	ई. डब्ल्यू एस.	स्व. सं. से.	दिव्यांगजन	भू.प. सै	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मनोविज्ञान–प्राध्यापक	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00
2.	अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र–प्राध्यापक	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00
	योग	**02**	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

• दिव्यांगजन की ओ.एल., ओ.ए., ए.वी., एच.एच., एल.सी., डीडब्ल्यू. तथा ए.ए.वी. चिन्हांकित उपश्रेणियां उपर्युक्त समस्त विषयों के लिए उभयनिष्ठ हैं।

सचिव